छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **एकादश सत्र**

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2021

(श्रावण 05, शक सम्वत् 1943)

[अंक 02]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार दिनांक 27 जुलाई, 2021

(श्रावण 5, शक संवत् 1943)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर सहायक प्रध्यापकों की पूर्ति

1. (*क्र. 460) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने शासकीय महाविद्यालय है एवं उसमें सहायक प्राध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं? यदि रिक्त है, तो कब तक भरे जायेंगे?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : छत्तीसगढ़ में कुल 253 शासकीय महाविद्यालय हैं. उसमें सहायक प्राध्यापकों के 3972 पद स्वीकृत हैं. रिक्त पदों को भरने की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है.

श्री किस्मतलाल नंद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उच्च शिक्षा मंत्री सम्माननीय उमेश पटेल जी से यह प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने शासकीय महाविद्यालय हैं और उन महाविद्यालयों में कितने सहायक प्राध्यापक के पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं ? माननीय मंत्री जी का उत्तर मुझे मिल चुका है लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने प्रश्न पूछा है वह That is not very important question. इसके पहले भी इस प्रश्न को बसना के विधायक माननीय देवेन्द्र बहादुर सिंह के द्वारा पूछा जा चुका है। इसके बावजूद भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में दो ब्लाक आते हैं, एक सराईपाली और एक बसना। बसना ब्लाक में जो पिरदा कॉलेज है, उसमें विगत् जब से वह कॉलेज खुला है तब से वहां केवल एक ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की गयी है और वह कॉलेज भगवान भरोसे चल रहा है। (शेम-शेम की आवाज) इसलिए मुझे इस प्रश्न को उठाना पड़ा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि निकट भविष्य में पिरदा महाविद्यालय में अतिशीघ्र सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति करें। धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, 1384 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्द जब यह पूरी भर्ती हो जाएगी तो आपके कॉलेज को ध्यान में रखकर उसमें भर्ती कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जस्ट मिनट।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उमेश जी, ढाई साल में आप कितनी बार बोल चुके हैं कि भर्ती चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, प्लीज।

श्री उमेश पटेल :- देखिए आपको भी पता है कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, प्लीज प्लीज।

श्री अरूण वोरा :- जितनी बार आप 15 साल में बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये सुनिए। माननीय मंत्री जी मुझे यह बताएं कि पिरदा का कॉलेज कब खुला था, कब से चल रहा है ? या विधायक जी बता दें कि पिरदा का कॉलेज कब खुला था और कब से एक ही शिक्षक हैं। आपको याद है कि पिरदा का कॉलेज कब खुला था ?

श्री किस्मतलाल नंद :- सर, 3-4 साल हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है।

<u>जनपद पंचायत बालोद एवं गुरूर में मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं भुगतान</u>

2. (*क्र. 108) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 30 जून, 2021 तक संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत बालोद एवं गुरूर को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल कितनी लागत के कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने कार्य अपूर्ण और अप्रारंभ की स्थिति में है? अपूर्ण एवं अप्रारंभ होने के क्या कारण हैं? जनपद पंचायतवार पृथक-पृथक बतावें? (ख) कंडिका "क" में स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि का मजदूरी एवं सामग्री भुगतान किया जा चुका है एवं कितनी राशि भुगतान हेतु शेष है? भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) : (क) एवं (ख) जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है उनसे मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू।

<u>पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में गुणवत्ता विहिन निर्माण कार्यों पर कार्यवाही</u>

3. (*क्र. 256) श्रीमती इन्दू बंजारेः क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से 30-06-2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत

[1] † परिशिष्ट "एक"

कितनी नयी सड़कों का निर्माण कराया गया है? कितनी सड़कों में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : कुल 01 सड़क में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया. 06 सड़कों में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है. वर्तमान में इन 6 सड़कों में जॉच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.06.2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् कितनी नई सड़कों का निर्माण कराया गया है और कितनी सड़कों में गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई है तथा उन सड़कों पर कार्यवाही की गयी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- जी, मंत्री जी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर संतुष्ट कर दिये इधर संतुष्ट नहीं कर पाए। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- इधर आप खाली कुर्सी को प्रणाम कर दीजिए ना। (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन काल वर्ष 2019-20 से दिनांक 30.06.2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 02 के तहत स्वीकृत एक सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 30.08.2019 को अनुबंधित ठेकेदार मेसर्स श्री किशन के द्वारा पूर्ण किया गया था जिसमें गोसवारा में संलग्न है। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को उपलब्ध हो गया होगा। प्रश्नावधि तक 2019-20 से दिनांक 30-06-2021 तक पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना 03 तक तहत 6 कार्य स्वीकृत हुए हैं तथा कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। उक्त 6 सड़कों के अनुबंध अनुसार पूर्णत: दिनांक 21 तक की है। अक्टूबर एवं जून 22 यह भी संलग्न है। जो कार्रवाई की बात माननीय सदस्य महोदया जानना चाह रही हैं, योजना में अब तक पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 62 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इनमें से 6 सड़कें प्रगतिरत हैं। शेष 56 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं। यह 6 सड़कों का NQM (national qualitry monitor) के माध्यम से संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह एस. लिखते हैं कि satisfactory है। साथ में इंस्पेक्शन कराया गया है, काम प्रगति पर है। 16 जुलाई इसमें कार्रवाई के लिए भी माननीय सदस्या ने जानकारी चाही थी। आपके पत्र के आधार पर एस.ई. जिनको आपने पत्र लिखा था। उन्होंने एक कमेटी भी गठित कर दी है और आपने चाहा था कि आपकी उपस्थिति में वह जांच हो, उसके लिये भी डॉयरेक्शन दे दिये गये हैं तो आप या आपके प्रतिनिधि की उपस्थिति में यह जांच भी हो जाएगी । इसका पत्र भी जारी है, संभवत: आपको भी प्रति मिल गई होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, अब संतुष्ट हो जाईए ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- नहीं-नहीं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने दिनांक 21.06.2021 को पत्र लिखा और दिनांक 16.07.2021 को उन्होंने पत्र भेजा और जब जांच कमेटी उनके द्वारा गठित की गई तो जांच का दिनांक 24, 25 एवं 26 तारीख को तय हुआ और मुझे दिनांक 24 तारीख को 2 बजे प्राप्त हुआ । मैंने जबकि पत्र में स्पष्ट रूप से यह लिखा था कि मेरे समक्ष, मेरी उपस्थिति में सभी सड़कों की जांच की जाये लेकिन ये अधिकारी और जो ठेकेदार हैं, उनकी भागीदारी से ये लोग पैसों का बंदरबांट कर रहे हैं । आप जाकर देख सकते हैं, किसी भी सड़क में बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि जो डोगाकरोद और बोरसी वाली सड़क है, मेरे समक्ष एक सड़क की जांच कराई गई थी तो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें न तो गिट्टी थी, न मुरूम था और न ही डामरीकरण था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि केवल एक महीने हुए हैं और एक महीने के बाद ही वह रोड पूरी तरह से उखड़ गई है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करती हूं कि मेरे समक्ष में ही सभी सड़कों के लिये आप विधानसभा से नयी कमेटी गठित करें और मेरे समक्ष में इन सड़कों की जांच कराने की मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या फिर से इनकी उपस्थिति में जांच संभव है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह दिनांक जारी हो चुका है। नया पत्र भी जारी हो चुका है और जब तक विधायक महोदया की उपस्थिति में जांच नहीं होगी उसको मान्य नहीं किया जायेगा । जब तक आप अपनी उपस्थिति से संतुष्ट नहीं होंगी तब तक किसी जांच को मान्य नहीं किया जायेगा ।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं से टीम गठित करके भेजें क्योंकि उन लोग गुमराह करने का बहुत प्रयास करते हैं क्योंकि इसमें उनकी मिलीभगत होती है ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सजग हैं और आपकी सजगता के आधार पर ही कार्यवाही होगी, उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा ।

<u>प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती में आरक्षण रोस्टर पालन न करने की प्राप्त शिकायतों का निराकरण</u>

4. (*क्र .71) श्री देवेन्द्र यादव :क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की शासकीय आई.टी.आई में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर पालन न होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उसके निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो प्राप्त अभिमत क्या है? और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : जी हां. जी हां. अभिमत ††[2] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पर आपका जो अभिमत अर्थात् उत्तर आया है उसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन आयी और जो शिकायत के बारे में मैंने जानकारी भी मांगी थी उसमें आपकी तरफ से हामी भरी गयी तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही प्रक्रियाधीन क्यों है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत प्राप्त हुई यह सही है और शिकायत प्राप्त होने के बाद विभाग द्वारा इसमें जांच भी की गई है और जांच करने के बाद अन्य विभागों से इस पर अभिमत भी लिया जा रहा है इसलिए यह प्रक्रियाधीन है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जांच हुई है और जांच में लोक आयोग की जो रिपोर्ट है । इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में लोक आयोग यह कहता है कि जो स्पष्टता अवचार का गंभीर कृत्य है जिसे न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही औपचारिक दंड दिया जा सकता है और साथ ही साथ यह भी लिखता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में संयुक्त संचालक एवं अन्य कई लोकसेवक का कृत्य अवचार होना पाया गया है । साथ ही साथ दिनांक 04.01.2020 को यह रिपोर्ट आती है इसके बाद जो संचालक महोदय हैं उनका भी अभिमत अवर सचिव को दिनांक 02.06.2020 को भेजा जाता है इसमें वे यह कहते हैं कि जांच दल द्वारा अवगत कराया गया है कि रोस्टर संधारित नहीं है । केवल रोस्टर सूची जो हस्ताक्षरित है वह उपलब्ध कराई गई है और इस पर भी उनको दोषी माना जाता है और तीसरा उसी दिन दिनांक 02.06.2020 को संचालक का एक और पत्र जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि जांच दल का स्पष्ट अभिमत है कि उक्त त्रुटि पर लिये गये निर्णय सुधार नियोक्ता अधिकारी से प्रशासकीय अनुमोदन लिया जाना चाहिए था बिना शुद्धि पत्रक जारी किये उपरोक्तानुसार जुवैल लकड़ा की नियुक्ति त्रुटिपूर्ण सांज्ञिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है इस तरीके से लगातार लोकआयोग हो या संचालक हो । दोनों ही तरफ से इस पूरे ही प्रकरण में कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ पिछले समय मार्च 2021 में भी यह प्रश्न हमने लगाया था उसमें भी यही लिखा गया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतना गंभीर विषय जिसमें साफ तौर से एक्ट 1994 धारा-6 का उल्लंघन किया जा रहा है, उस पर क्या आप कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर तो सही आया है कि कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आपकी कार्यवाही प्रकियाधीन है मतलब कई जगहों में अड़ंगे आये हैं, उसमें प्रकिया के अंतर्गत है। अब उसमें मंत्री जी क्या करेंगे आप बताइए ?

[2] † परिशिष्ट "दो"

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह केस माननीय उच्च न्यायालय में भी लंबित है, इसलिए हमने विधि विभाग से अभिमत के लिए इसे भेजा है।

अध्यक्ष महोदय :- उच्च न्यायालय में लंबित है?

श्री उमेश पटेल :- जी, हां।

अध्यक्ष महोदय :- नमस्कार। कुलदीप जुनेजा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो प्रकरण है, यह उच्च न्यायालय में नियुक्ति व उसके पश्चात्..।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय यादव जी, सुनिए। जो प्रश्न या विषय उच्च न्यायालय में लंबित है, उस पर यहां चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जवाब भी आना चाहिए था यह उच्च न्यायालय में लंबित है। आपको यह लिखना था कि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में है। कैंसिल करवा देते।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं इसी बात को क्लियर करना चाहता हूं कि यह जो मामला उच्च न्यायालय में गया है, उसका इस प्रश्न से लेना देना ही नहीं है। उच्च न्यायालय में जो प्रकरण गया है, उस पर जो नियुक्ति हुई है, उसके पश्चात् की प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय में लोग गये हैं, लेकिन मेरा प्रश्न नियुक्ति प्रोसेस को लेकर है, जो नियुक्ति के पहले का था। यह इसमें बेसिक अंतर है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। माननीय अध्यक्ष से दोनों बैठकर चाय पीजिए और उसका निराकरण करवाइए। (हंसी) कुलदीप जुनेजा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इसमें दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे क्या?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न लगा है, उसी पर उच्च न्यायालय में मामला लंबित है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती।

श्री देवेन्द्र यादव :- न्यायालय में जो विषय है, वह नियुक्ति के बाद का है और मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वह नियुक्ति के पहले का है।

अध्यक्ष महोदय :- कुलदीप जुनेजा।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न। आप बैठ जाओ। आप कक्ष में बैठकर चर्चा कर लेना।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी।

कर अपवंचन को रोकने हेतु मारे गये छापो में कर निर्धारण उपरान्त राशि की वसूली

5. (*क्र. 2) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है, कि विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक-18) दिनांक 03 मार्च, 2021 के उत्तर में

विभाग द्वारा यह बताया गया है, कि सत्र 2020-21 में वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा कर अपवंचन रोकने हेतु कुल 10 स्थानों पर छापा डाला गया था तथा इन प्रकरणों में कर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांक "क" में उल्लेखित 10 स्थानों पर मारे गये छापे में कितने प्रकरणों में कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर कितनी राशि दिनांक 26-06-2021 तक वसूल कर ली गई है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जी हां. यह सत्य है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक-18) दिनांक 03 मार्च, 2021 के उत्तर में विभाग द्वारा बताया गया था कि सत्र 2020-21 में उस अवधि तक वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग द्वारा कर अपवंचन रोकने हेतु कुल 10 स्थानों पर छापा डाला गया था तथा इन प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है. (ख) उक्त 10 स्थानों पर मारे गए छापों में से 05 प्रकरणों में कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर रु. 73.68 लाख की राशि दिनांक 26-06-2021 तक वसूल कर ली गयी है. शेष 05 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जानकारी †[3] संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कुल 10 स्थानों पर मारे गये छापों में से 05 प्रकरणों में कर निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण कर राशि वसूल कर ली गयी है। फिर संलग्न परिशिष्ट के क्रमांक 4 में उल्लिखित संस्था के मेसर्स के.जे.एस.एल. कोल एंड पॉवर लिमिटेड पर जांच दिनांक 08/05/2020, अब तक यानी एक साल से भी ज्यादा समय से कर निर्धारण की कार्यवाही पेंडिंग क्यों है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी भी देख ली होगी कि 10 में से 05 प्रकरणों में 73.68 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है। शेष में 04 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन अपेक्षित है। एक में कार्यवाही चल रही है। हमारे यहां जो अधिकारी भी थे, उनका सिलेक्शन आई.ए.एस. में हुआ, जो इसको डील कर रहे थे, उस कारण से और प्रक्रिया में सामने वाले पक्ष को भी अवसर दिया जाता है, उतना अवसर अवसर देकर कार्यवाही की जा रही है। जल्द से जल्द जैसा सदस्य महोदय चाहते हैं कि संबंधित मे. के.जे.एस.एल. कोल एंड पॉवर प्रा.लिमिटेड, इनके संदर्भ में भी कार्यवाही जल्दी से जल्दी किया जा सके तो उन्हें जवाब देने का पर्याप्त अवसर देते हुए कार्यवाही जल्द से जल्द की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी करिएगा। धरमलाल कौशिक जी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी क्रमांक 02 एवं क्रमांक 06 में उल्लिखित संस्थानों के विरूद्ध अंतिम जांच प्रतिवेदन सवा साल से प्राप्त नहीं हो सका है। मंत्री जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे।

---

[3] † परिशिष्ट "तीन"

अध्यक्ष महोदय :- मतलब, आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, जल्दी संतुष्ट करना मुश्किल है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- सिंहदेव साहब।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- कल तो आप संतुष्ट हो गये। बैठक दिनभर चली है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सर, यह तो सतत् चलने वाली प्रकिया है न।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए वे भी संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मे. इन्द्रमणि कोल बेनिफिकेशन्स प्रा.लिमि. का पंजीयन होकर कोल वाशरी के साथ कोल क्रय विक्रय का व्यवसाय करते हैं। विभाग द्वारा व्यवसायी के प्रस्तुत विवरणों को, पत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षण पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र में विधान अनुसार कर की गणना की जाकर नकद कर कर जमा किया गया है। गत् वर्ष की तुलना में नकद कर जमा करने की गणना में दिनांक 08/05/2020 को व्यवसाय स्थल पर जांच की जाकर अपवंचन से संबंधित दस्तावेज व्यवसाय स्थल पर जप्त किये गये। जप्तशुदा दस्तावेजों के विस्तृत परीक्षण के लिए उपायुक्त राज्य कर, रायपुर संभाग क्रमांक-2 को समुचित अधिकारी नियुक्त करते हुए प्रकरण आवंटित किया गया । समुचित अधिकारी द्वारा रूपए 1 लाख, 54 हजार, 138 कर अपवंचन मानते हुए व्यवसायी से दिनांक 14.05.2021 को राशि जमा कराई गई । इसके अतिरिक्त प्रकरण में विवरणों एवं अन्य तथ्यों की सतत् निगरानी की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनको आप बिठाकर समझाइएगा ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- इतना लम्बा उत्तर तो मैं भूल जाउंगा आदरणीय। इतना लम्बा उत्तर देंगे तो मैं खुद ही भूल जाउंगा कि मैंने क्या पूछा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं इसकी प्रति भी आपको उपलबध करा दूंगा, आपके साथ भी बैठ जाउंगा और जो जो बातें होंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 12 बजे के बाद इनके कक्ष में जाइएगा (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि जुनेजा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वे देवगुरू बृहस्पति से पूछ सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अभी अजय जी ने कहा उसको विलोपित कराइए आप, आप कैसे सोच लिए कि जुनेजा जी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है । (हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अलग से बैठ जाना मेरे साथ मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन 12 बजे के बाद बैठना ।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, आधी रात के बाद ही मन बहकता है (हंसी)।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये रोज होता है या एकाध बार होता है ।

श्री अरूण वोरा :- वह तो आप बताएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आधी रात के बाद आपका मन रोज बहकता है या ..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए...चलिए..चंद्राकर जी ।

शराबबंदी हेतु गठित समिति की अनुशंसा

6. (*क्र. 425) श्री विद्यारतन भसीनः क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि छत्तीसगढ़ में शराब बंदी के लिए समिति बनायी गई है? यदि हां, तो कौन-कौन सी समिति बनाई गई है व दिनांक 03-07-2021 तक इन समितियों में कौन-कौन सदस्य हंै व कब-कब बैठक हुई तथा शराब बंदी के लिए इनके द्वारा क्या अनुशंसा की गई है? माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण (बजट सत्र 2019) में उल्लेख अनुसार क्या राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र 2018 को आत्मसात किया है? यदि हां, तो इसमें की गई घोषणा के अनुसार प्रदेश में शराब बंदी कब तक लागू की जावेगी? (ख) जनवरी से दिसम्बर 2019 व जनवरी से दिसम्बर, 2020 के मध्य मदिरा विक्रय से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है? माहवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जी हां. राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने हेतु के संबंध में अनुशंसा हेतु विभिन्न स्तर पर तीन समितियां क्रमशः राजनीतिक समिति, प्रशासनिक समिति तथा सामाजिक संगठनों की समिति गठित की गई है. उक्त समितियों में मनोनीत किये गये सदस्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे क्रमशः परिशिष्ट "अ", "ब" एवं "स" पर है. राजनीतिक समिति की बैठक दिनांक 19-08-2019 को आयोजित हुई एवं प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 09-10-2019 को आयोजित हुई. बैठकों का कार्यवाही विवरण क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" एवं "इ" पर है मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 01-01-2019 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य में पूर्ण शराबंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा हेतु, ऐसे राज्य जहां पूर्व में शराबंदी लागू की गई थी या वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, में शराबबंदी के फलस्वरूप उक्त राज्यों में आये आर्थिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रभाव का अध्ययन करने हेतु गठित समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी, समितियों की अनुशंसानुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में यथेष्ठ निर्णय लिया जावेगा.(ख) जनवरी से दिसम्बर 2019 व जनवरी से दिसम्बर 2020 के मध्य मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" पर है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शराबबंदी के लिए, उसके अध्ययन और अनुशंसाओं के लिए विभाग के द्वारा 3 समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों की बैठक के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक सामाजिक संगठन की समिति बनाई गई है, उस सामाजिक संगठन की समिति के सदस्यों के नाम बता दें, उसका गठन और बैठकें कब हुई हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने मंत्री जी से पूछा है, कवासी लखमा जी से पूछ रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो भी मंत्री बताना चाहें, मुझे दिक्कत नहीं है, जवाब आना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह जो हमारी सरकार के द्वारा 2019 में समिति का गठन किया गया है । पहले राजनीतिक समिति, सामाजिक समिति और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है । उस समय तीनों समितियों की बैठक की गई है लेकिन कोरोना के कारण बैठकों में थोड़ा विलम्ब हुआ है और इसलिए तीनों समितियों की पहली बैठक हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप विद्यारतन भसीन जी का सवाल का रहे हैं तो उनका जवाब अकबर दे सकते हैं ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, जो सामाजिक समिति बनी है उस समिति में साहू समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, कुर्मी समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि, ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मैंने इसीलिए कहा कि आप जवाब दे देंगे। इसकी सूचना कैसे देंगे, आज तक उसकी बैठक नहीं हुई है । मतलब इसकी गंभीरता देखिए । मैंने इसीलिए कहा कि लखमा जी उत्तर न दें, तो अकबर जी दे देंगे । इस समिति की गंभीरता इतनी है कि इनका गठन होने के बाद आज तक बैठक नहीं हुई । 2019 में समिति का गठन हुआ और अभी 2021 चल रहा है, ढाई साल निकल गए और वे बता रहे हैं कि ये अध्यक्ष हैं । आप उनका नाम तो लिखिए कि साहू समाज का अध्यक्ष कौन है, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष कौन है, आदिवासी समाज का अध्यक्ष कौन है और जब अध्यक्ष का नाम नहीं लिखा गया है तो फिर बैठक कैसे बुलाएंगे ? यह समिति की गंभीरता है । ढाई साल हो गए लेकिन उस समिति के सदस्यों का नाम भी नहीं लिखा गया है । सीधा प्रश्न यह है कि ..।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी..।

श्री धरमलाल कौशिक :- अमितेश जी को सुनना पड़ेगा ।

श्री अमितेश शुक्ल :- जी, सुनिये । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कौशिक जी को बता देना चाहता हूं कि शासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, गंभीर है । क्योंकि राजीव लोचन भगवान का पवित्र स्थल है, वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बोलने से ही 15 दिनों के लिए शराब वर्जित कर दी । इसलिए प्रक्रिया अब चालू है । निश्चित रूप से हम लोग शराब बंदी करेंगे । हमारी सरकार गंभीर है ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमितेश शुक्ल :- हमारी सरकार गंभीर है

श्री धर्मलाल कौशिक :- मंत्री जी अभी नाम नहीं आया है ये समिति में जो नाम कब तक आ जाएगा।

श्री धर्मजीत सिंह अरे ये कोई शराबबंदी आप नहीं करेंगे थोड़ी बोल रहे हैं ये तो कमेटी का नाम पूछ रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है कि शासन हम तो बता रहे हैं कि गंभीर कितनी है पूरे राजीव लोचन मंदिर की जो उसमें पूरे-पूरे 15 दिन की पवित्र भूमि में वो कर दिया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- कमेटी का नाम पूछ रहे हैं नाम अब मंत्री जी बताएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी इसमें अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हैं कर लिये हैं या करना है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी अध्यक्षों के नाम इसमें जिस प्रकार जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है उसमें साहू समाज के अध्यक्ष या प्रतिनिधि इसी प्रकार के सभी समाज हैं करीब 18-21 समाजों के अध्यक्ष या प्रतिनिधि इसमें शामिल किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद

श्री शिवरतन शर्मा :- आपत्तिजनक है माननीय अध्यक्ष महोदय जब विभागीय मंत्री हाजिर है तो दूसरा मंत्री जवाब दे रहा है आधा जवाब विभागीय मंत्री दे आधा जवारब कोई दूसरा मंत्री दे ये कैसा है (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी आज अनुमति दी है

श्री अजय चंद्राकर :- अनुमति तो बिना अनुमति के अमितेश शुक्ल जी

श्री रविन्द्र चौबे :- बात उनके बारे में नहीं अभी धर्मजीत भईया कह रहे थे बात वो नहीं है आप संक्षिप्त पूछ रहे थे वो विस्तार से उत्तर दे रहे थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके उपर आपत्ति नहीं है माननीय अध्यक्ष जी ने इससे पहले व्यवस्थ दी है इस विषय में उसके बास शिवरतन जी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी आपका प्रश्न है दसवें नंबर पर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सक्षम नहीं मानते जवाब देने के लिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अरे सक्षम है तभी तो मंत्री है भई ।

श्री अमितेश शुक्ल :- कवासी जी सक्षम है कवासी जी दे सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न है क्या विद्यारतन जी प्रश्नों को नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं

श्री शिवरतन शर्मा :- वो अधिकृत किये गये हैं अभी वो अनुपस्थित है भसीन जी अनुपस्थित है

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय आसंदी ने अनुमति दी है

श्री मोहम्मद अकबर :- ये जो सामाजिक संगठन के जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष या प्रतिनिधि ये पदेन हैं समय-समय पर इनके चुनाव होते रहते हैं इसलिए इसमें नाम नहीं है समय-समय पर जो भी अध्यक्ष बनेंगे वे पदेन रूप से उसमें उपस्थित हो पाएंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अकबर जी मैं इसीलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। ढाई साल हो गये ढाई साल में एक बार भी बैठक नहीं हुई ढाई साल का समय आपका निकल गया और उल्टा गिनती भी शुरू हो गई और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि समय समय पर नहीं होता कोई भी समाज के संगठन के जो चुनाव होते हैं किसी का 3 साल का कार्यकाल है किसी का 5 साल का है तो आपने इसमें जो नाम दिया है 21 समाज का 21 समाज का एक भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ और कितने बार आपने समाज संपर्क उनसे संपर्क किया आप और ये जो स्थिति है या तो आप इसको डिजाल कर दीजिये डीजाल इसलिए कर दीजिए कि ढाई साल में आप उनका नाम नहीं ले पाये बैठक नहीं बुला पाये ऐसे समिति का कोई औचित्य नहीं है और नहीं तो ये जो नाम है कब तक उनके नाम आएंगे और इसकी बैठक होगी दूसरी बात ये आपकी गंभीरता दिख रही है सरकार की कि सरकार कहां पर है कि ढाई साल में जो नाम नहीं बुलवा सके तो ऐसी समिति का कोई औचित्य नहीं है और आपको बनाना भी नहीं चाहिये और यदि बनाये हैं तो उसमें ईमानदारी के साथ उसकी बैठक बुलानी चाहिए चाहे उनकी अनुशंसा जो आये। दूसरी बात आपने जो राजनीतिक समिति और जो प्रशासनिक समिति बनाई 19 में उसका गठन हुआ और 19 के बाद में आज हम जुलाई में अंतिम सप्ताह में है 21 में इस समिति की कितनी बारे बैठकें हुई हैं और बैठक में क्या अनुशंसा आई है थोड़ा सा आप बताएंगे

श्री मोहम्मद अकबर :- राजनीतिक समिति की बैठक 19 अगस्त 2019 को आयोजित हुई प्रशासनिक समिति की बैठक 9 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई ये दोनों बैठकें हो चुकी हैं जहां तक सामाजिक समितियों का सवाल है कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाया ये बिल्कुल सत्य है जल्दी इसकी बैठक बुलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद, पाण्डेय जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय गठन होने के बाद एक बैठक हुई है उसके बाद में आज तक बैठक नहीं हुई है

अध्यक्ष महोदय :- कोरोना है बोल रहे हैं न

मैंने पूछा उनकी अनुशंसाएं क्या है जब कोरोना है आप पूरे विधानसभा की सत्र की हम लोग बैठक बुला सकते हैं बड़े-बड़े कांग्रेस के प्रदर्शन हो सकते हैं 10 लोगों की बैठक नहीं हो सकती

अध्यक्ष महोदय :- कोरोना है, बोल रहे हैं । चलिए, कोरोना माता की कृपा है, जल्दी ठीक हो जाये ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, यह बताएं कि उनकी अनुशंसा क्या है ? आपकी नीयत नहीं है तो बोलिए न, जनता के बीच में बोलिए न, विधान सभा में बोलिए कि हमारी नीयत शराब बंदी की नहीं है, वोट लेना था इसलिए हमने बोल दिया कि शराब बंदी करेंगे और बोलने के बाद में हमारा राजस्व मारा जा रहा है, हम लोग जिस बात का आरोप लगाते हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग नीयत की बात कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजिव लोचन भगवान की पवित्र भूमि में घोषणा करके नीयत तो दिखा दी । यह सरकार और कैसा नीयत दिखायेगी । राजीव लोचन भगवान की पवित्र भूमि को पूरा छत्तीसगढ़ जानता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी, आप कितना भी बोल लें, लेकिन मंत्री नहीं बन पाएंगे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मुझे मंत्री की चिन्ता नहीं है, आप चिन्ता करो ।

संसदीय सचिव, उद्योग मंत्री से सम्बद्ध (श्री यू.डी. मिंज) :- राजनीतिक समिति में भाजपा ने अभी तक अपने सदस्यों के नाम नहीं दिए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमितेश जी, आप छत्तीसगढ़ के धरोहर हो भई, यह हम सब स्वीकार करते हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- कल इनका किसान आन्दोलन फ्लाप रहा, एक भी किसान उसमें नहीं आये । किसान आन्दोलन फ्लाफ रहा इसीलिए ये सब परेशान हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने सारी घोषणा पत्र को आत्मसात किया है । उसमें पूर्ण शराबबंदी की बात घोषणा-पत्र में दी गई है । आपने जो समिति बनाई है, उसकी बैठकें नहीं हो रही है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं यह बोल रहा हूं कि शुरूआत तो कर दी गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी बैठे हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- चुप रहिए अजय भाई, आप मंत्री की बात करते हैं । (हंसी) अभी शराब की बात करिए, शराब पर प्रतिबंध की बात चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- आज अमितेश बाबू जाग गए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतरी बनने में क्या है ?

श्री अमितेश शुक्ल :- मैं संतरी तो हूं ही ।

श्री अजय चन्द्राकर :- (श्री अरूण वोरा, सदस्य की ओर इशारा करते हुए) अमितेश जी, इनको 12 बजे रात के बाद उत्तेजना आती है, आपको दिन के 12 बजे उत्तेजना आती है ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आज अमितेश जी पिक-अप लिये हैं ।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, नहीं तो आप इसको गलत ढंग से और प्रचारित करोगे । 12 बजे दिन के बाद तो मन बहकता नहीं है, इनका मन कैसे बहक रहा था । मैं यह बोल रहा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर 12 बजे रात के बाद बहक जाता है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, एक तो समाज का नाम नहीं है, दूसरी बात एक बैठक के बाद में दूसरी बैठक नहीं हुई है और उसके बाद में आपने जो राजनीतिक समिति का गठन किया, वह किस प्रावधान के अंतर्गत किया ?

अध्यक्ष महोदय :- आज प्रश्न की गति अच्छी थी, आप लोगों ने जबरन इसको रोक दिया ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है । वास्तविक में इसमें एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है । मुझे मालूम था कि लखमा जी जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए मैंने अकबर जी को कहा कि वे जवाब देंगे। इसमें एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है और इसमें सरकार की नीयत दिखाई दे रही है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- सरकार की नीयत पर आप बिल्कुल ऊंगली मत उठाईए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 1 जनवरी, 2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में राज्य शासन जहां पूर्ण में शराब बंदी लागू की गई थी, उसके लिए एक समिति बनी और उस समिति के आधार पर आगे की तीन समितियां बनाई गई हैं ।

<u>जिला बिलासपुर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संक्रमित/मृतकों की संख्या</u>

7. (*क्र. 22) श्री शैलेश पाण्डे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरोना महामारी के दूसरी लहर में बिलासपुर जिले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए? (ख) निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या अस्पतालवार उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) 11 जुलाई, 2021 की स्थिति में कोरोना महामारी के दूसरी लहर में बिलासपुर जिले में 1013 लोगों की मृत्यु हुई, 41,395 लोग संक्रमित हुए, तथा 40,301 लोग ठीक हुए. (ख) निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या की अस्पतालवार जानकारी ††[4] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

---

††[4] परिशिष्ट "चार"

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का सही उत्तर मुझे नहीं मिला है और शायद अपूर्ण उत्तर भी मिला है। मैंने प्रश्न पूछा था कि बिलासपुर जिले में कोरोना से कितने मरीज संक्रमित हुए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पांडे जी, वे कल से परेशान हैं । आप तो उनके खास आदमी हैं, आज उनको क्यों परेशान कर रहे हो ?

श्री शैलेश पांडे :- मैं उनकी राजनीतिक हत्या नहीं कर रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस षडयंत्र में कौन-कौन शामिल हैं, आप यह बता दो ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मुझे प्रश्न का जो लिखित जवाब दिया है, उसमें कोरोना से 41,395 मरीज संक्रमित हुए, जबकि मेरे पास जो जानकारी है, विभाग ने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार 64589 मरीज संक्रमित हुए । दूसरी बात, मैंने मरीजों की भर्ती की संख्या पूछा तो उसके अनुसार मुझे 3011 मरीजों की जानकारी मिली है, जबकि मेरे पास जो जानकारी है, वह विभाग ने 34 सौ मरीजों की जानकारी भेजी है । मैंने कोरोना से मृत्यु की जानकारी मांगी तो उसमें मुझे 1013 मरीजों के मृत्यु होने का जवाब मिला है, जबकि विभाग से मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें 1215 मरीजों की मृत्यु हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें सही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास जो जानकारी है, वह कौन सी है ?

श्री शैलेश पांडे :- मेरे पास विभागीय जानकारी है ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह कौन सी जानकारी है ?

श्री शैलेश पांडे :- वह मुझे पता नहीं है । मैं वही जानना चाहता हूं, यही मेरा पहला प्रश्न है । माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों पर माननीय मंत्री ने क्या किया और क्या शिकायतें आई हैं ? बिलासपुर जिले से कोरोना की निजी अस्पतालों की क्या शिकायतें आई हैं, यह मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत जानकारियां चाही हैं । अगर अवसर मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी राज्य की स्थिति भी बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसकी व्यवस्था देता हूं । यह बहुत विस्तृत जानकारी है और उनको पूरा संतुष्ट करना जरूरी है । आप उनको कक्ष में संतुष्ट करिएगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ।

श्री शैलेश पांडे :- ठीक है ।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

<u>जिला गरियाबंद में कैंसर, हृदय, मस्तिष्क की जांच संबंधी यंत्रों का क्रय</u>

8. (*क्र. 432) श्री डमरूधर पुजारीः क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में दिनांक 03-07-2021 की स्थिति में कैंसर, हृदय, मस्तिष्क इत्यादि की जॉच संबंधी कौन-कौन सी मशीनें क्रय के पश्चात् प्रारंभ नहीं हुई व क्यों? अस्पतालवार, मशीनवार व बंद होने की अवधिवार की जानकारी देवें? (ख) गरियाबंद जिले में किन-किन मशीनों की स्वीकृति विगत 02 वर्षों में प्राप्त हुई है जिनको या तो क्रय नहीं किया गया है या तो स्टॉल नहीं किया गया है इन्हें कब तक चालू किया जावेगा? विलम्ब के लिए दोषी कौन है? प्रश्नांक "क" अनुसार मशीनों को कब तक चालू कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) : (क) क्रय के पश्चात् सभी मशीने चालू है. शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है. (ख) गरियाबंद जिले में विगत 02 वर्षों में मल्टीपैरा मॉनिटर विथ आईएबीपी के 3 एवं ईसीजी मशीन कम्प्यूटराइज्ड की और 01 मशीन की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं ये सभी मशीनें क्रय पश्चात चालू है. शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर गलत आया है। गलत उत्तर आया है, मतलब मशीन चालू है उत्तर में लिखा है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन-किन अस्पतालों में मशीन बंद हैं और किन-किन अस्पतालों में मशीन चालू हैं ? यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि गरियाबंद जिले में दिनांक 3.7.2021 की स्थिति में कैंसर, हृदय और मस्तिष्क इत्यादि के जांच सम्बन्धी, तो किस-किस चीज का जवाब दिया जाये? संबंधित कौन-कौन सी मशीनें क्रय की गई है और क्रय पश्चात प्रारंभ नहीं हुई है? क्रय पश्चात सभी मशीनें चालू हैं, जवाब आ गया है। अगर माननीय सदस्य कोई और जानकारी चाहते हैं तो मैं विभाग से पूछकर जानकारी दे दूंगा। गरियाबंद जिले में किन-किन मशीनों की स्वीकृति विगत दो वर्षों में प्राप्त हुई है जिनको या तो क्रय नहीं किया गया या इन्सटाल नहीं किया गया ? तो गरियाबंद जिले की यह स्थिति भी स्पष्ट है कि विगत 2 वर्षों में मल्टीपैरा मॉनीटर विथ आई.ए.बी.पी. पम्प के 3 एवं ई.सी.जी. मशीन कम्प्यूटराइज तथा एक मशीन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये सभी मशीनें क्रय पश्चात चालू हैं।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देवभोग अस्पताल में डायलेसिस मशीन सुपेबेड़ा के नाम से गया था तथा एक एक्सरे मशीन अब तक बंद पड़ा है। शासन ने कहा था कि बिजली हाफ है। मेरे क्षेत्र में बिजली हॉफ होने से एक्सरे मशीन और डायलेसिस मशीन नहीं चल रहा है। माननीय मंत्री जी भी सुपेबेड़ा गये थे और वहां कहा था कि डायलेसिस मशीन भेजेंगे, डायलेसिस मशीन भेज दिए, लेकिन उसका आपरेटर नहीं है। माननीय मंत्री जी ने डाक्टर भेजने के लिए भी आश्वासन दिया था,

लेकिन डायलेसिस मशीन से संबंधित डाक्टर नहीं गया है। आप इस पर तत्काल कार्यवाही कर मशीन को चालू करायेंगे क्या ?

श्री टी.एस. सिहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मशीनें रिपेयर इत्यादि में रहती हैं, उनके अतिरिक्त सभी मशीनें चालू हैं। क्या कैंसर का ईलाज जिला अस्पताल में हो सकता है ? क्या हृदय रोग का ईलाज जिला अस्पताल में हो सकता है ? यह एक सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। मस्तिष्क रोग, यानि कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है तो क्या इसका ईलाज क्या जिला अस्पताल में हो सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था नहीं है। आपने एक्सरे मशीन का पूछा गया है, इन बीमारियों या इनके ईलाज में एक्सरे मशीन की उपयोगिता हो, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन फिर भी आप जानना चाहेंगे तो आपको जानकारी दे देंगे, जो आपने नहीं पूछा है। वह सब जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपको धन्यवाद। श्री धनेन्द्र साहू जी।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, देवभोग क्षेत्र आखिरी जिले का छोर है और वहां मशीन चालू नहीं है तो आम जनता का क्या होगा ? उसको जल्दी से चालू करायें ?

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी चालू कराईये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- ठीक।

<u>प्रदेश में मनरेगा के तहत् स्वीकृत कार्य एवं राशि</u>

9. (*क्र. 229) श्री धनेन्द्र साहूः क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में 02-07-2021 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा के तहत् कितनी-कितनी राशि के किस-किस जिले में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये? वर्तमान में कितनी-कितनी राशि का भुगतान, सामग्री एवं मजदूरी का बकाया है? कृपया अलग-अलग जिलेवार जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने मनरेगा के कार्यों के शेष भुगतान के बारे में जानकारी दी है। लगभग 62 करोड 43 लाख रूपये मजदूरी का भुगतान का तथा 113 करोड़ 69 लाख रूपये सामग्री का भुगतान का, इस तरह से कुल 175 करोड़ 69 लाख रूपये का भुगतान अभी भी बाकी है। इसके कारण सभी कार्य प्रभावित होते हैं। ये लंबित भुगतान कब तक कर दिए जायेंगे, माननीय मंत्री जी जानकारी दे दें ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जानकारी चाही है, उन्होंने आंकड़ें पढ़ा, उनके पास उपलब्ध है। जहां तक मनरेगा में लेबर के भुगतान का सवाल आता है, यह सीधे केन्द्र सरकार के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में पैसा चला जाता है। उसमें विलंब का प्रश्न नहीं के बराबर होता है। विभाग एक फार्मूला टी+70+8 का अपनाकर चल रहा है। जैसे ही एम.व्ही. में

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम दर्ज हो गया, उसकी भी निश्चित तिथि है, 8 दिन के अंदर पेमेन्ट आ जाना चाहिए। राज्य सरकार उसको भुगतान मान लेती है, जिसकी मांग वह केन्द्र सरकार को कर देती है, हम यह मानते हैं कि हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली। जैसे ही केन्द्र सरकार से राशि आती है, वह हितग्राहियों के या मजदूरों के खाते में जमा हो जाती है। इस वर्ष विलम्ब का एक प्रमुख कारण जो बना, केन्द्र सरकार ने नीति में परिवर्तन किया, पहले मनरेगा मजदूरों का वर्गीकरण नहीं था, जो मनरेगा में काम करते थे तो उसके खाते में पैसा चला जाता था । संभवत: एस.टी. सबप्लॉन, एस.सी. सबप्लॉन, इत्यादि इसकी व्यवस्था और उनके पैसों का उपयोग किस तरह से हो रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुये 1 अप्रैल से केन्द्र सरकार ने व्यवस्था लागू की । एस.टी. के मजदूरों के खाते आप अलग करिये, एस.सी. के मजदूरों के खाते आप अलग करिये और अन्य के खाते आप अलग करिये, इसमें बैंकों को काफी समय लगा । जब तक वह खाते पूरे प्रदेश में एक-एक मजदूर के अलग से चिन्हांकित नहीं हो सके थे, एस.टी.है क्या, एस.सी. है क्या ? अन्य । इसमें विलम्ब हुआ, वरना केन्द्र सरकार से अमूमन मजदूरी का भुगतान आने में ज्यादा विलम्ब नहीं होता है । माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो मटेरियल काम्पोनेंट का जो प्रश्न किया है, इसमें विलम्ब अवश्य होता है और केन्द्र सरकार से आज भी हमारी राशि लंबित है । उसका मैचिंग काम्पोनेंट केन्द्र से राशि आने के बाद में जो राज्य सरकार को देना पड़ता है, हम उपलब्ध करा देते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा के दो काम्पोनेंट, एक 100 दिन का वनाधिकार पत्र, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट के तहत पेमेंट, 50 दिन का वनाधिकार पत्र, नागरिकों को मिला है, राज्य सरकार की ओर से 50 दिन का अतिरिक्त 100 दिन का पूरे होने पर उपलब्ध कराये जाते हैं, उसमें । विलम्ब केवल बजट की उपलब्धता के कारण होता है, मटेरियल का काम्पोनेंट, जब केन्द्र सरकार से राशि हमको नहीं मिलती है, 500 करोड़ की राशि लंबित होगी, जैसे ही वह राशि आती है, उपलब्ध करा देंगे ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो वैसे काफी विस्तार से पूरा उत्तर और जानकारी दे दी है । उन्होंने यह स्पष्ट भी किया है कि केन्द्र सरकार से आवंटन प्राप्त होने में विलम्ब के कारण इस भुगतान में देरी हुई है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी, अन्य विधान सभा क्षेत्र में भी, यह शिकायतें मिली है कि अधिकारी बता रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने पैसा दे दिया है, राज्य सरकार आपना राज्यांश नहीं दे पा रही है, इस कारण मनरेगा का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस तरह से गांव-गांव तक, मजदूरों तक यह बात पहुंचाई जा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राज्यांश नहीं देने के कारण विलम्ब हो रहा है कि केन्द्र सरकार के द्वारा अनुदान नहीं आने के कारण विलम्ब हो रहा है ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ पेमेंट के संबंध में देश में चौथे स्थान पर है । कम से कम पेंडिंग कितने मामले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है । केन्द्र सरकार ने जितनी राशि आवंटित की थी, उससे कहीं ज्यादा राशि का मांग आया या काम हुआ, यहां तक कि

1500 करोड़ मानव दिवस का जो टारगेट था, उसे भी हमने 1350 को एक्सीड किया । यह स्थिति आ गई है कि केन्द्र सरकार पूछ रही है कि कितना काम कराओगे ? छत्तीसगढ़ में काम की स्थिति, जो पेमेंट की बात है, लेबर का पेमेंट दूसरी कारण से पेंडिंग नहीं हो सकता, एक कारण यह रहता है कि उनके खाते मैच नहीं कर रहे हैं, एकाउँट नंबर मैच नहीं कर रहा है, कहीं पेंडिंग में चला जाता है, कहीं रिजेक्ट हो जाता है तो उसका समाधान, इसमें कुछ प्रतिशत खाते हो सकते हैं, अन्यथा पेंडिंग नहीं होना चाहिये । राज्यांश, लेबर काम्पोनेंट में 100 दिन में नहीं आता, उसमें राज्यांश एक पैसा भी नहीं लगता, जो F.R.A. के खाते हैं, उसमें राज्यांश एक पैसा नहीं लगता, जो राज्य के 50 दिन का काम है, उसमें राज्यांश लगता है, उस प्रकार के पेमेंट में विलम्ब है । यह जरूर है कि कोरोना काल के समय राज्य के वित्त संसाधनों में भी विशेष दबाव था, प्राथमिकता कोरोना उपचार की थी, हो सकता है उसमें राशि आने में विलम्ब हुआ हो, तो पेमेंट में लेट हो सकता है, अन्यथा पेमेंट में लेट नहीं होना चाहिये । मटेरियल काम्पोनेंट, यह अलग चीज है । इसमें भी राज्य की तरफ से अभी तक कमी नहीं हुई है, जैसे ही केन्द्रांश आता है, राज्यांश जमा हो जाता है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि कार्य प्रभावित होता है और दोनों जुड़े हुये हैं, जब मटेरियल ही नहीं रहेगा तो लेबर काम काहे में करेगा । मटेरियल कम्पोनेंट, लेबर कम्पोनेंट एक साथ जुड़े हुये हैं, केन्द्र सरकार से किस कारणों से यह भेजने में विलम्ब होता है, जिसके कारण मनरेगा के काम स्वीकृत हैं और प्रभावित होते हैं । उसके कारण लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पाता है । यह जो मैंने बात कहीं है, दुष्प्रचारित करने की बात है, जिसमें राज्य सरकार का दोष नहीं है, अधिकारी स्तर से यह बात मजदूरों तक क्यों फैलाई जा रही है । राज्य से पैसा नहीं मिल रहा है, केन्द्र का पैसा आ गया है, लेकिन राज्य सरकार पैसा नहीं दे रही है। इस तरह का दुष्प्रचार और अफवाह फैलाई जा रही है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करा लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप इसकी जांच करा लीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ सदस्य से यह जानकारी ले लूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि गरीब मन से जुड़े हुए मजदूरी के मामला है। विधानसभा से मोदी जी ला एक ठे चिट्ठी लिखी जाये। वह गरीब मन के पेमेन्ट ला जल्दी नई करवात हे। यहां से मोदी जी को चिट्ठी लिखी जाये कि गरीब मन के कम से कम पेमेन्ट जल्दी हो जाये।

<u>विशेष कोरोना शुल्क की राशि का स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरण एवं व्यय</u>

10. (*क्र. 144) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2 मई तथा 15 मई 2020 को छत्तीसगढ़ राजपत्र वाणिज्क कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर द्वारा देशी व विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अद्धा, पाव) क्रमशः 10 रु. व 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने की सूचना के अनुसार प्रश्नांश दिनांक 02-07-2021 तक दोनों मदों से कितनी राशि प्राप्त हुयी है एवं कोरोना महामारी (कोविड-19) के लिये स्वास्थ्य विभाग को इस मद से कितनी राशि हस्तांतरित की गयी है? कितनी राशि खर्च की गयी है व खर्च करने के नियम निर्देश क्या है? कितनी राशि शेष है? जिलेवार बतायें? (ख) उक्त दोनों मदों से प्राप्त राशि का उपयोग अन्य किन-किन मदों में, किन कार्यों के लिये किया गया है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और कब तक किया जायेगा?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) छत्तीसगढ़ राजपत्र वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर के अधिसूचना (1) दिनांक 02-05-2020 अनुसार विशेष आबकारी शुल्क (कोविड-19 महामारी के फैलाव के विरूद्ध अधोसरंचना उन्नयन हेतु) देशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग (बोतल, अद्धा एवं पाव) रुपये 10/- की दर से तथा (2) दिनांक 15-05-2020 अनुसार विशेष कोरोना ड्यूटी वर्ष 2020-21 हेतु (अप्रैल 2021 से समाप्त) विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) के फुटकर विक्रय दर पर 10त्न की दर से दिनांक 02-07-2021 तक आबकारी मद में जमा राशि की जिलावार जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर †† संलग्न[5] है. कोरोना महमारी (कोविड-19), के लिये उक्त मदों से कोई भी राशि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित/स्वीकृत नहीं की गई है. अतः शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होते है. (ख) जानकारी प्रपत्र "स" पर †† संलग्न है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मैं आपसे दो मिनट का कुछ संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक संरक्षण तो दिया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। चाहें तो माननीय अकबर साहब भी उत्तर दे सकते हैं, मैं अपनी ओर से मांग कर लेता हूं।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप बड़ा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। मैं यही जानना चाह रहा था कि इनको स्प्रिट और माल्ट के बारे में इतनी डिटेल जानकारी कैसे है।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले प्रश्न आ जाने दीजिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्प्रिट और माल्ट के बारे में बोला है। देशी व विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के बारे में आपने इतनी डिटेल में जानकारी पूछी है। मैं प्रभावित हो गया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चाहे लाख पढ़ लो, मंत्री बृहस्पत सिंह जी ही बनेंगे।

---

[5] परिशिष्ट -"छः"

श्री अमितेश शुक्ल :- बोतल, अद्धा, पाव यह क्या है? माननीय शर्मा जी शायद आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आप उनके दोस्त हैं। इतनी डिटेल में जानकारी मांगी है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा आप यह बता दो कि किस-किससे प्रभावित हुए हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- वह जिससे प्रभावित हैं, वह सदन में बताने लायक नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- अभी तो मैं अजय भैया से प्रभावित हूं। इन्होंने जो इतना डिटेल प्रश्न किया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चन्द्राकर जी, आप बोतलबाजी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? आप न जाने किस-किस बाजी में खेलते रहते हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक सेकंड में अवगत करवाना चाहूंगा कि 15 मई 2020 को इस राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की विदेशी मदिरा पर 10 प्रतिशत की दर से विशेष करोना शुल्क आरोपित किया जायेगा। यह एक अधिसूचना है। इन्होंने दूसरी अधिसूचना 2 मई 2020 को जारी की कि देशी मदिरा के फुटकर विक्रय पर प्रति नग (बोतल, अद्धा, पाव) में 10 रुपये की दर से विशेष आबकारी शुल्क आरोपित करता है। इसका उद्देश्य यह था कि कोरोना महामारी (कोविड-19) के फैलाव के विरूद्ध अधोसंरचना उन्नयन के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु दो अधिसूचना इस राज्य सरकार ने जारी की है। राजपत्र में ये कापी है, आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में पूछा है कि आपने कितनी राशि कोरोना हेतु स्वास्थ्य विभाग को प्रश्नाधीन अवधि तक या 30 जून की अवधि तक स्थानांतरित की है? इन्होंने उत्तर दिया है कि हमने कोई राशि स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित नहीं की है। कोरोना के लिए आप विशेष शुल्क लगाते हैं तो कोरोना के लिए 1 रुपये की भी राशि आज तक कोरोना की दो लहर हो गई, स्थानांतरित नहीं करने के कारण क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय :- यह सीधा-सीधा प्रश्न है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राज्य शासन ने अन्य मदों से कोरोना के लिए सारे व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी तो यह राशि जमा है। जब जरूरत पड़ेगी तो उस राशि को व्यय किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे कहूंगा मैं दूसरी चीजें पढ़ देता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई राशि खर्च नहीं हुई है, उन्होंने 36 करोड़ रुपये अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए कोरोना मद के पैसे को दिया। कोरोना मद का 36 करोड़ रुपये अंग्रेजी माध्यम स्कूल को देते हैं तो यह कौन से नियम के तहत शेष या विशेष कोरोना शुल्क की राशि की को स्कूल शिक्षा के लिए दे सकते हैं? इससे पहले पिछले सत्र के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्षता में एक उन्नयन बोर्ड बनाया है जिसमें 200 करोड़ रुपये इसी से रखा है। आपने कोरोना के लिए शुल्क लगाया, उसको एक रुपया नहीं दिया। मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन के लिए आप 200 करोड़ रुपये रखते हैं और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के लिए 36 करोड़ रुपये देते हैं। आपने अभी कहा कि पूरा पैसा रखा है तो जो आपने दिया, यह 36 करोड़ रुपये कहां का पैसा है? इसी परिशिष्ट में है।

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिये, यह जो 36 करोड़ रुपये की बात आप कर रहे हैं, यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए दिया गया है। यह शिक्षा में विशेष आबकारी शुल्क का व्यय हो सकता है। शेष राशि जमा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें आ गईं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि पूरी राशि जमा है, अभी कह रहे हैं कि 36 करोड़ रुपये खर्च हो गया, बाकी जमा है। आप यह बताईये कि दोनों तरह के कोरोना शुल्क आप लगाये हैं, क्या वह दूसरे विषय में खर्च हो सकता है? दूसरा इसी के बजट से 200 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन में किया है। तो अधोसंरचना उन्नयन तो अभी गठित हुआ है। उससे पहले तो बजट आयोजन कर दिया था तो क्या आप कोरोना शुल्क की राशि को दूसरे मदों में खर्च कर सकते हैं। इस संबंध में नियम क्या है ?

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 16 जुलाई को प्राधिकरण के बाकी के पदाधिकारी मनोनित हुए हैं और इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बाकी के 6 सदस्य अभी आ गए हैं। अब प्राधिकरण अपने बोर्ड की बैठक में जो निर्णय होगा उसके हिसाब से व्यय किया जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि विशेष शुल्क की राशि आपने स्पेशिली नोटिफिकेशन जारी किया है कोरोना के लिए और एक जारी हुआ है गोठान विकास के लिए। जब कोरोना के लिए आप पैसा ले रहे हैं तो आप दूसरे मदों में उसको खर्च कर सकते हैं क्या ? इस संबंध में नियम क्या है ? मैं वह पूछ रहा हूं । कब गठित होगा क्या होगा यह नहीं पूछा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि कोरोना शुल्क जमा है उसमें दूसरा खर्च नहीं हुआ है। एक मिनट पूरा सुन तो लीजिए। विशेष आबकारी शुल्क से स्कूल को राशि दी गयी है। दो अलग-अलग बात नहीं है दोनों सही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं फिर से राजपत्र आपके पटल पर रख देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों शुल्क कोरोना के उन्नयन के लिए लग रहे हैं और एक अलग शुल्क लग रहा है, गोठान विकास के लिए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि क्या राशि 3600 करोड़ रूपये दो अंग्रेजी स्कूलों के लिए दिया जा सकता है ? मैं बार-बार पूछ रहा हूं नियम क्या है ? कोरोना शुल्क जो आप लगाये हैं उसको दूसरे मदों में खर्च कर सकते हैं क्या ? इस संबंध में सरकार के नियम क्या है ? मैं यह पूछ रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- आप रिकार्ड निकाल के देखें कि मैंने क्या कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नियम पूछ रहा हूं। आप नियम नहीं बता रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- विशेष आबकारी शुल्क से इसको दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी को भी जो मेरी जानकारी में है। चाहे तो खण्डन कर सकते है। कोरोना के लिए यदि शुल्क लगा है। किसी में भी देशी मदीरा में, विदेशी मदीरा में तो वह कोरोना पर ही खर्च होगा। पिछली बार भी इन्होंने यह गलत खर्च हुआ है। नियम निर्देशों का सरकार ने उल्लंघन किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण प्रकरण को, चाहे गोबर खरीदी में इन्होंने 3.5 करोड़ रूपये खर्च किया हो। विधानसभा के रिकार्ड में माननीय मंत्री जी ने कहा था, वह भी नियम के विरूद्ध। 36 करोड़ रूपये कोरोना मद का पैसा ये दूसरे मदों में नहीं दे सकते और दूसरा अन्य मदों से जो खर्च किया है कोरोना में। कल उत्तर आया है विभाग का। मेरे पास पूरी जानकारी है। ये कोरोना को आपदा में बदल दिये और वह पैसा 550 करोड़ रूपये से ऊपर है माननीय अध्यक्ष महोदय। कौन भरोसा करेगा इस बात पर कि कोरोना को अन्य मदों ने संभाल लिया और यह पैसा रखा है। कोरोना के नाम से यह दूसरा खर्चा कर रहे हैं। ये नियम के विरूद्ध है। इसकी जांच कराइये माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष आबकारी शुल्क से ही राशि दी गई है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं कि कोरोना शुल्क की कोई राशि नहीं दी गई है। मैं बिल्कुल बार-बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये दोनों अलग-अलग बातें है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पढ़ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि विशेष आबकारी शुल्क से 36 करोड़ रूपये की राशि इंग्लिस मिडियम के स्कूल के लिए दी गई। ये विशेष आबकारी शुल्क कब लगाया गया, कितने प्रतिशन लगाया गया, कितने वर्ष के लिए लगा है ? और ये बता दीजीए कि ये विशेष आबकारी शुल्क लगाने के पीछे उद्देश्य क्या था और इस पर कितनी राशि का व्यय हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पटल पर रखना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मिनट, एक मिनट। मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाए ना। ये जो विशेष आबकारी शुल्क का आप जिक्र कर रहे हैं। ये विशेष आबकारी शुल्क कब लगाया गया ? इसके लगाने का उद्देश्य क्या था ? और इसमें कितनी राशि की वसूली हुई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- विशेष आबकारी शुल्क 2 जुलाई 2021 तक अधोसंरचना में 320 करोड़ 61 लाख रूपये इसमें प्राप्त हुआ है। 2 जुलाई 2021 ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो मूल दोनों शुल्क की बात कर रहे हैं कोरोना के लिए माननीय अध्यक्ष

महोदय, वह दोनों राजपत्र की अधिसूचना को आप कहें तो मैं आपके पटल में रख देता हूं इन दोनों को। दोनों में लिखा है कोरोना और उसी में खर्च होता है। ये विशेष शुल्क, विशेष शुल्क बोल रहे हैं। दोनों नोटिफिकेशन में कोरोना लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप समय निकल जाने के बाद उत्तेजित होते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप रखने दीजिए न। एक-एक काम मुझे निपटाने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विशेष कोरोना शुल्क के खर्च करने का नियम क्या है ये माननीय सदस्य बार-बार पूछ रहे हैं। हमारी जानकारी में है कि विशेष कोरोना शुल्क को आप दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते और आपने दूसरे मद में खर्च किया तो उसके नियम क्या है जरा ये बता दें ? और दूसरी बात कि आने वाले समय में भी कोरोना की तीसरी स्ट्रेन आने का भी डर है। तो क्या यह पूरी कोरोना शुल्क की राशि को आप स्वास्थ्य की व्यवस्था में कोरोना के अपग्रेडेशन में खर्च करेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि कोरोना शुल्क की राशि व्यय नहीं की गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष कोरोना शुल्क।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष कोरोना शुल्क की राशि व्यय नहीं की गई है, वह जमा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। यह सरकार जगलरी कर रही है। कोरोना शुल्क से राशि वसूल कर, उसका दुरूपयोग कर रही है और यह गलत जानकारी दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि उसके नियम बतायें, नियम तो सरकार के पास होंगे। जरा हमें नियम बता दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम क्यों नहीं बताते। (व्यवधान) मैं पटल पर रखता हूँ, आप अनुमति दें तो। इन दोनों में कोरोना शुल्क लिखा है। ये दोनों राजपत्र की कॉपी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अपराध है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों राजपत्र है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में कोरोना से मरने वालों को अनुग्रह राशि दी जा रही है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फण्ड डायवर्सन का मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में विशेष शुल्क लगाकर उनके ईलाज करवाएं जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में कहीं कोई खर्च नहीं कर रहे हैं उस राशि का दुरूपयोग कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों में कोरोना लिखा है।

श्री नारायण चंदेल :- दोनों में कोराना लिखा है। इसमें कहीं कोई स्कूल नहीं लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको इतनी उत्तेजना की जरूरत नहीं है। आप यहां दोनों राजपत्र यहां रख दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं पढ़ देता हूँ। आज जो बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पढ़िए मत। राजपत्र आ जाएगा, उसको घर में आराम से पढ़िएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां रख देता हूँ।

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर द्वारा दोनों राजपत्र की कॉपी पटल पर रखी गई)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, उन्होंने रखने को कहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- अब हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने गंभीरता को समझते हुए राजपत्र रखवा लिया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। कोरोना शुल्क की राशि का छत्तीसगढ़ में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। उनकी जान बचाने के बजाए उस पैसे को दूसरे मदों में खर्च कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरें मदों में खर्च नहीं हो रहा है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने प्रचार-प्रसार में खर्च कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बार-बार बोल रहे हैं कि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। (व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है। वह बोल रहे है कि दूसरे मदों में खर्च नहीं है। वह खर्च नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- वह राशि खर्च हुई है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है। जबरदस्ती कह रहे हैं कि खर्च हुआ है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा को अवसर में बदल दिया।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को बोलने से वह खर्च हुआ है, वह खर्च नहीं हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो-जो विशेष शुल्क की बात कर रहे हैं उसमें कोरोना शुल्क लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि वह राशि दूसरे मदों में खर्च नहीं हुआ है, वह जमा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से इन्होंने प्रश्न पूछा कि कोराना के नाम से शराब में जो टैक्स लिया गया, उसके पैसे के बारे में पूछा।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय धर्मजीत भईया, उत्तर तो उसी का आ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुन तो लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे:- आपको स्वामी आत्मानंद स्कूल का इतना विरोध क्यों है? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम कहीं कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए इतना अच्छा स्कूल है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कोरोना शुल्क के नाम पर पैसा खा रहे हो।

श्री रविन्द्र चौबे:- माननीय मंत्री जी बार-बार उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दूसरे मदों में कोई राशि खर्च नहीं हुआ है। आज जबरदस्ती कुछ भी बात करेंगे। कोई राशि खर्च नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं विधान सभा में जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि दूसरे मदों में कोई राशि खर्च नहीं हुई है। पूरी राशि जमा है। कोई राशि खर्च नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पैसा रखा हुआ है और यह दे नहीं रहे हैं। लोग यहां मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- दूसरे मदों में कोई राशि खर्च नहीं हुई है। बेकार की बात नहीं। कोई राशि खर्च नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- जेमा गरीब के लइका इंग्लिश पढ़ही। ओमर इंग्लिश पढ़ही तेकर बर एमन ला तकलीफ होवत हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है इसलिए हम इनके उत्तर के विरोध में शासन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:53 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव।

<u>सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत PMGSY के तहत निर्मित सड़कों की स्थिति</u>

11. (*क्र. 75) डॉ. लक्ष्मी ध्रुवः क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत PMGSY की कितनी सड़कें है? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार कितनी सड़कें जर्जर अवस्था में हैं? तथा इनके रिपेयरिंग की क्या समयवधि है? (ग) जर्जर सड़कों की मरम्मत की क्या कार्य योजना है? कब तक मरम्मत किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) कुल 118 सड़कें है. (ख) निरंक. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) सड़क निर्माण पश्चात् 05 वर्ष तक अनुबंधित ठेकेदार के द्वारा नियमित संधारण का कार्य किया जाता है. 05 वर्ष संधारण अवधि पूर्णता पश्चात् आवश्यकतानुसार प्राथमिकता क्रम के अनुसार बजट उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण/पैच रिपेयर कार्य किये जाते है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री जी से PMGSY सड़कों के बारे में पूछा है। उनका उत्तर मिला है, लेकिन एक भी जर्जर सड़क नहीं है। ऐसा उत्तर में लिखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि सिंहपुर से मगरलोड मार्ग एक साल के बाद ही इतना टूट-फूट गया कि उसमें चलना मुश्किल हो गया। ठेकेदार 5 वर्ष तक संधारण करते हैं। लेकिन वह सड़क टूटी फूटी थी थोड़ा सा बनाया फिर अभी भी उसकी स्थिति बहुत खराब है

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और साथ में पुल बना है वह भी बीच से पूरा गोल आकार में टूट गया है जिससे जनता को आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है तो मैं मंत्री जी से यही कहना चाहती हूँ कि क्या आप उसकी जांच कराकर उसका संधारण करवायेंगे क्या ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर।

अध्यक्ष महोदय :- अतिशीघ्र करवा देंगे। धन्यवाद्। डॉ.प्रीतम राम जी ।

<u>जिला सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु स्वीकृति राशि एवं संपादित कार्य</u>

12. (*क्र. 407) डॉ. प्रीतम रामः क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 01 जनवरी, 2019 से 30 जून, 2021 तक सरगुजा जिले में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को चुस्त दुरूस्त रखने के लिए डी.एम.एफ., सी.एस.आर. और विशेष केन्द्रीय सहायता मद से राशि मिली है? यदि हां, तो वर्षवार मदवार बतावें? उक्त राशि से स्वास्थ्य विभाग की ओर से कौन-कौन से कार्य कराए जा रहे हैं, कार्यों के नाम राशि के सहित बताएं? उक्त में कौन से कार्य पूर्ण हो चुके और कौन से कार्य प्रगतिरत है?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : जी हां. वर्षवार, मदवार कार्य की जानकारी † [6]संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

डॉ. प्रीतम राम :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिला सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु स्वीकृत राशि एवं संपादित कार्य के संबंध में प्रश्न किया था। माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा उत्तर आया है और संशोधित उत्तर भी मिल गया है, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

<u>जिला राजनांदगांव में निजी अस्पतालों की जांच</u>

13. (*क्र. 448) श्री दलेश्वर साहू : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नावधि तक राजनांदगांव जिले में कितने निजी अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत किये गये हैं? (ख) क्या सभी पंजीकृत अस्पतालों द्वारा एक्ट का पालन किया जा रहा है? उक्त अस्पतालों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? (ग) शिकायत के विरूद्ध कितने अस्पतालों की जांच किन अधिकारियों द्वारा कर, क्या कार्यवाही की गयी है? जांच किन बिन्दुओं के आधार पर की गयी है? वर्षवार, अस्पतालवार जानकारी देवें?

[6] † परिशिष्ट "सात"

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) प्रश्नांकित अवधि तक 33 निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत किया गया. (ख) जी हां. 01 शिकायत प्राप्त हुई है. (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न (ग) के ऊपर में कहना चाहूंगा। शिकायत के कितने अस्पतालों में जांच किन अधिकारी द्वारी किया गया और जांच किन-किन बिन्दु के आधार पर की गयी ? जांच तो चार बिन्दुओं पर हुआ है पर जानकारी तीन बिन्दुओं पर दी गयी है। जांच रिपोर्ट मेरे पास है। चूंकि उसी से रेमडेसिवीर का मामला पूरे प्रदेशों में बहुत हलचल रहा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेमडेसिवीर वितरण संबंधी आपने जो दिशा निर्देश जारी किया गया था क्या वह प्रदेश के सभी हास्पिटल में उनका नियमत: पालन किया किया है कि नहीं किया गया है और अगर नहीं किया गया है तो उसकी जांच करायेंगे क्या ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में कोई शिकायत नहीं आई थी। अखबारों में अन्य माध्यमों में प्रचार के माध्यमों में यह बातें उठी थी और उसका संज्ञान लेकर जिला अध्यक्ष कलेक्टर साहब ने इसमें जांच करवाई और जांच में जो बिंदु सामने आए हैं उनको हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। उसके अतिरिक्त रेमडेसिवीर पहले नियंत्रित रूप से उपयोग में नहीं थी, ओपन मार्केट में थी और जब से किल्लत आई तब से उसका प्रबंधन सरकार ने अपने हाथों में लिया। यह रेमडेसिवीर किस पीरेड की बात है, विशेषकर माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं जानकारी ले लूंगा कि किस समय की यह बात है और अगर उसमें कोई भी अनियमितताएं हैं, रेट से ज्यादा वसूली करने की या कोई भी ऐसी बात आएगी उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी और पैसे भी वापस करवाई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए धन्यवाद।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, बस थोड़ा सा प्रश्न कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- संतुष्ट हो जाइये।

श्री दलेश्वर साहू :- मैं यह कह रहा हूं कि रेमडेसिवीर से संबंधित आपने जो दिशा निर्देश जारी किया था क्या हास्पिटल वाले उसका विधिवत पालन किये हैं? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, हम तब तक यह मानेंगे कि उनका पालन किया गया है जब तक कोई दूसरी जानकारी नहीं आती।

<u>प्रदेश में संचालित देशी, विदेशी मदिरा दुकानें</u>

14. (*क्र. 383) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 31 दिसंबर, 2018 में प्रदेश में कुल कितने देशी, विदेशी, मदिरा, दुकान एवं बार संचालित थे? 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 03-07-2021 तक कुल कितने नए शराब दुकान, बार खोले गए

एवं बंद किए गए, जिलेवार जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या यह सही है, कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से 500 मीटर अधिक दूरी पर स्थित शराब दुकानों को मेनरोड में स्थानांतरित किया गया है? यदि हां, तो जिलेवार जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रदेश में कितनी शराब दुकानों में देशी, विदेशी मदिरा का विक्रय एक साथ किया जा रहा है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) 31 दिसम्बर, 2018 में प्रदेश में देशी मदिरा की 374 दुकाने, विदेशी मदिरा की 324 दुकाने एवं 114 बार संचालित थे. 01 जनवरी 2019 से दिनांक 03-07-2021 तक कुल नए शराब दुकान, बार खोले गए एवं बंद किए गए की जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" पर ‡ संलग्न है. (ख) जी हां. यह सही है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से 500 मीटर अधिक दूरी पर स्थित शराब दुकानों को मेनरोड में स्थानांतरित किया गया है. जिलेवार जानकारी प्रपत्र "ब" पर ‡ संलग्न है. (ग) प्रदेश में 113 मदिरा दुकानों में देशी एवं विदेशी मदिरा का विक्रय एक साथ किया जा रहा है.[7]

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है कि..।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न बहुत लंबा है। सवाल थोड़ा करिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत छोटा सा प्रश्न है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 500 मीटर की अधिक दूरी पर जो शराब दुकानों को मेन रोड में स्थानांतरित किया गया। क्यों स्थानांतरित किया गया, ऐसा क्या कारण था ?

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह नियमानुसार है। यह सुप्रीम कोर्ट से एक एडवाइजरी थी। उसके बाद से 500 मीटर अधिक दूरी पर स्थित शराब दुकानों को शिफ्ट करने की बात आई थी। उसके आधार पर किया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं यह भी जानना चाहती हूं कि आपने 2019 से 2021 के बीच 101 नये बार को परमिशन दिया। ऐसा क्या कारण था कि आपको 101 नये बार को परमिशन देना पड़ा।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह मांग अनुसार है।

<u>उपसंचालक के विरूद्ध अवैधानिक नियुक्ति की शिकायत/जांच</u>

15. (*क्र. 60) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पदस्थ किस उपसंचालक के विरूद्ध किनके-किनके

[7] ‡ परिशिष्ट "नौ"

द्वारा अवैधानिक रूप से नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत की गयी है? उपसंचालक एवं शिकायतकर्त्ताओं के नाम सहित बतावें? (ख) प्रश्नांश "क" में की गई शिकायत किन-किन अधिकारियों को कब-कब की गयी है? किन अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है क्या जांच की जा रही है क्या जांच पूर्ण है, तो जांच का परिणाम क्या है? यदि अपूर्ण है, तो जांच कब तक पूर्ण की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) संचालनालय पंचायत एवं ग्रामीण विकास में पदस्थ प्रभारी उप संचालक श्री दिनेश अग्रवाल के विरूद्ध श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, संसदीय सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अवैधानिक रूप से नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत की गयी है. (ख) प्रश्नांश "क" के संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 26-12-2020 को शिकायत की गई है. श्री मो. कैसर अब्दुल हक, संचालक पंचायत एवं श्री जे. पी. सिंह, संयुक्त संचालक, पंचायत, पंचायत संचालनालय छ.ग. द्वारा शिकायत की जांच की गई. जांच पूर्ण है, जांच में शिकायत पत्र में उल्लेखित कंडिकायें निराधार एवं तथ्यहीन पाया गया है.

श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का जवाब मिल चुका है, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं।

कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर की पूर्व तैयारी

16. (*क्र. 416) श्री धर्मजीत सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से पहली एवं दूसरी लहर में दिनांक 03-7-21 तक कितने लोग संक्रमित पाए गए? उसमें कितनें-कितनें लोगों की मौतें हुई? पुरूष/महिला/बच्चों की संख्या पृथक-पृथक देवें? (ख) एम्स संचालक/चिकित्सकों के शोध एंव शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा क्या यह संभावना व्यक्त किया गया है, कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है? यदि हां, तो इसके लिए राज्य शासन ने क्या-क्या तैयारी की है? (ग) कंडिका "ख" के विशेषज्ञों ने क्या कोरोना के तीसरी लहर में बच्चों के लिए विशेषकर अधिक प्रभावशील घातक सिद्ध माना है? हॉ, तो इस संभावित परिस्थितियों में राज्य शासन के द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था क्या-क्या है, नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) प्रदेश में कोविड-19 के पहली एवं दूसरी लहर में कुल 9,95,489 लोग संक्रमित पाये गये. उनमें से 13,453 मौते हुई जिसमें पुरूष 9,295, महिला 4,156 एवं बच्चे (14 वर्ष तक) 51 शामिल है तथा 02 तृतीय लिंग है. (ख) जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) इंडियन एकेडेमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिये अधिक घातक मानने का कोई आधार नहीं है. राज्य शासन द्वारा बच्चों के समुचित ईलाज की पूरी व्यवस्था रखी गई है.

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ पूछ नहीं पाए थे, अभी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी से मैंने यह पूछा था कि कितने लोग मरे तो आपने बताया कि 12 हजार लोग मरे, 10 लाख लोग संक्रमित हुए। तीसरी लहर के लिए क्या आपको एम्स या दिल्ली की कोई वैज्ञानिक संस्था ने सचेत किया है ? बच्चों के लिए आपने कहा कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है तो क्या आप सुनिश्चित हैं कि बच्चों के लिए कोई लहर नहीं आएगी ? बच्चों के लिए आपने क्या इंतजाम किया है, वे बच्चे अस्पताल में अकेले कैसे रहेंगे और उनके लिए क्या-क्या इंतजाम कर सकते हैं जरा यह बता दीजिए ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक तीसरी लहर की बात है और इसमें बच्चों के संक्रमित होने की बात है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर के या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश के किन्हीं भी विशेषज्ञों के माध्यम से यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि बच्चों की प्रतिशतता में कोई अंतर आने वाला है। यानी बहुत ज्यादा बच्चे ही किसी कारण से प्रभावित होंगे। जब तक कोई नया म्यूटेशन जब तक कि कोई नया वेरिएंट कोराना का ऐसा नहीं आता है जिसकी आज तक जानकारी नहीं है। तो पहले और दूसरे लहर के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह देखा गया है कि संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। पहले लहर की तुलना में दूसरे लहर में चार गुना से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन बच्चों की प्रतिशतता लगभग उतनी है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायककंपनियां -

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां -

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखता हूं ।

(2) अधिसूचना क्रमांक 12085/3272/21-ब/छ.ग./2019, दिनांक 23 नवम्बर, 2019

विधि और विधायी कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 12085/3272/21-ब/छ.ग./2019, दिनांक 23 नवम्बर, 2019 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(4) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 पटल पर रखती हूं ।

समय :
12:02 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठकर सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1.	**वित्तीय कार्य** -	**निर्धारित समय**
	वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे
2.	**विधि विषयक कार्य**	
	(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021	30 मिनट
	(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट
	(3) छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण)विधेयक, 2021	1 घंटा 30 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>पृच्छा</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कारण यहां की संस्कृति जो है उसको समाप्त किया जा रहा है । हमारी जो वनवासी संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, पिछड़े वर्ग की संस्कृति है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है और यहां तक कि छत्तीसगढ़ की जो डेमोग्राफी है उसको बदला जा रहा है और इसको लेकर सुकमा के कलेक्टर ने एक पत्र लिखा । सुकमा के एसपी ने एक पत्र अपने सभी संबंधित अधिकारियों को लिखा कि धर्मांतरण बहुत तेज गति से हो रहा है इसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसके कारण कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है । पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे बस्तर में लगातार बिलासपुर जिले में ऐसी घटनाएं हुईं, दुर्ग जिले में ऐसी घटनाएं हुईं परंतु सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है । पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से संबंधित 1 हजार से ज्यादा शिकायतें थानों में हैं परंतु उसके ऊपर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में इसके ऊपर बैन लगा है । हमसे लगे हुए आसपास के देशों में बैन लगा है कि । हमसे लगे हुए आसपास के देशों में बैन लगा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग आकर छत्तीसगढ़ में यहां की कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद कर रहे हैं। यहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। यहां पर अपराध हो रहे हैं। नांदगांव जिले में बांग्लादेश के ऐसे 7 प्रवासी लोग पकड़े गये जो कानून व्यवस्था की स्थिति को बर्बाद करते थे और इसके बारे में हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर में धनबल और प्रलोभन के बेस पर और माननीय किसी एस.पी. के द्वारा ऐसा पत्र लिखा जाना, यह गंभीर मामला है और यह तो एक एस.पी. ने लिखा है और उस एस.पी. को डराया धमकाया जा रहा है। मुझे तो यह जानकारी है कि एक मंत्री ने भी फोन करके एस.पी. से दुर्व्यवहार किया कि तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की? (शेम-शेम की आवाज) तो यह बहुत..।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने सुना लिया। आप वरिष्ठ हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। मुझे कल का बचा हुआ कार्य निष्पादित करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको समय देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या बचा हुआ काम?

अध्यक्ष महोदय :- कल मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था। मुख्यमंत्री जी ने गृहमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा था। कल का कार्य पूर्ण हो जाये। माननीय गृह मंत्री जी।

समय :

12.06 बजे

<u>वक्तव्य</u>

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 24/07/2021 को माननीय विधायक श्री बृहस्पत सिंह जी को अंबिकापुर होते हुए रात्रि में ट्रेन द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करना था। इसी अनुक्रम में विधायक महोदय अपने सुरक्षा काफिले के साथ लगभग 17.00 बजे बलरामपुर से अंबिकापुर के लिए निकले थे। इसी दौरान विधायक महोदय के सुरक्षा में लगे फॉलो वाहन क्रमांक जे.एच. 01 डी.जे.-9483 के पीछे छूट जाने के कारण विधायक महोदय पायलट वाहन सहित फॉलो वाहन के पहले सर्किट हाउस अंबिकापुर पहुंच गये थे। पीछे छूटे फॉलो वाहन के सुरक्षाकर्मी विधायक महोदय के वाहन के कव्हर करने के लिए पीछे से आ रहे थे। इसी दौरान रात्रि लगभग 20.00 बजे अंबिकापुर स्थिति संजय पार्क के पास फॉलो वाहन को फोर्ड इन्डेवर वाहन क्रमांक सी.जी.-15 डीएन-9111 से साईड लेकर आगे बढ़ते समय फॉलो वाहन में बैठे सुरक्षाकर्मियों तथा फोर्ड इन्डेवर वाहन में बैठे लोगों के मध्य नोक-झोंक हुआ था। इसी बात को लेकर फोर्ड इनडेवर वाहन द्वारा आगे निकले फॉलो वाहन को बंगाली चौक के पास ओव्हर टेक कर फॉलो वाहन की चॉबी लेकर फॉलो वाहन में बैठे सुरक्षाकर्मियों के साथ गाली गुफ्तार करते हुए फॉलो वाहन में तोड़-फोड़ किया गया। इसकी सूचना फॉलो वाहन के सुरक्षाकर्मियों द्वारा विधायक महोदय को दिये जाने पर विधायक महोदय द्वारा सरगुजा पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी गई। फॉलो वाहन के चालक सुदर्शन सिंह निवासी चन्दनपुर, रामानुजगंज-बलरामपुर की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 648/2021 धारा 341, 294, 506, 353, 186, 427, 34 भारतीय दण्ड विधान तथा 3(1) (द) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल सभी तीन आरोपियों क्रमशः सचिन सिंहदेव उर्फ वीरभद्र सिंह, सोनू उर्फ संदीप रजक एवं धन्नू उरांव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

माननीय श्री बृहस्पत सिंह, विधायक रामानुजगंज एवं उपाध्यक्ष सरगुजा विकास प्राधिकरण को पीआरजी आदेश दिनांक 07/03/2019 के द्वारा **z** सुरक्षा श्रेणी प्रदत्त की गई है, जिन्हे सुरक्षा मानदण्डों के अनुरूप उनकी सुरक्षा हेतु व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी से 06 पीएसओ, 02 वाचर, 1+3 का स्थायी सशस्त्र स्कॉर्ट एवं रामानुजगंज स्थित निवास पर 1+1+9 का स्टेटिक गार्ड तथा रायपुर स्थित निवास 1+4 का अतिरिक्त स्टेटिक गार्ड तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय परिस्थितियों, क्षेत्र की संवेदनशीलता तथा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त बल सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियोजित किया जाता है। पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विधिसम्मत कार्यवाही की गई है।

असंशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन के विधायक ने जो आरोप लगाया, एक मंत्री पर आरोप लगाया। कम से कम उसके बारे में तो जानकारी देनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो हमारा विषय ही नहीं था। क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी? इसके बारे में वक्तव्य आये। यह तो कल हमारा विषय ही नहीं था। यह सदन को गुमराह करने वाला है। कल दूसरा विषय था। उसके वक्तव्य का क्या हुआ? विधायक का स्टेटमेंट था, वह क्या है? गृह मंत्री महोदय, उत्तर दो। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- यह वक्तव्य तो मैंने कल ख़ुद ही दे दिया दिया था कि गृहमंत्री जी बताएंगे कि इतने बजकर इतने मिनट पर यह हुआ । भइया, बृहस्पत सिंह जी को अंबिकापुर से बिलासपुर आते तक क्या हो गया कि टी.एस.बाबा को हत्यारा साबित कर दिया । इसके बारे में बताइए ना ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अंबिकापुर से बिलासपुर आते तक क्या हो गया कि टी.एस.बाबा को हत्यारा घोषित कर दिया, इसके बारे में बताओ ना ?

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत भइया । एक मिनट सुन लीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अरे भई, आप परम्परा की बात करते हो और सुनते नहीं हो । परम्परानुसार, नियमानुसार विधान सभा में प्रस्तुत अब तक के तारतम्य के अनुसार उनके दिये गये वक्तव्य पर माननीय नेता जी को वक्तव्य देने का, प्रतिक्रिया देने का है । वह देंगे उसके बाद आप लोग अपना काम करियेगा, प्लीज ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले को लेकर जो बवंडर हुआ । जिस प्रकार से मंत्री जी का वक्तव्य आया है और जो विधायक जी ने आरोप लगाया । इस वक्तव्य का कोई लेना देना नहीं है, इस घटना से कोई लेना देना नहीं है । यह तो हकीकत में सबको मालूम है और इसके पीछे भी दूसरी कहानी है जो आ रही है कि उनके फॉलो के साथ कैसे कोई घटना हुई है इसके पीछे भी दूसरी कहानी है । लेकिन फॉलो के साथ कोई घटना हो तो एक मंत्री के ऊपर आरोप लगा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या करना चाहते हैं । यदि मेरे जैसे चार-पांच विधायकों को मारकर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो बन जाएं । इतनी बड़ी बात हो गई, पूरे हिंदुस्तान के टी.व्ही. में चल गया, राष्ट्रीय समाचार पत्र में छप गया । उसके बाद में जो वक्तव्य आ रहा है तो इस वक्तव्य की आवश्यकता ही नहीं है । एक तो पता नहीं इस विधान सभा में क्या हो गया है कि सदन के चलते कोई भी घटना घटती है तो बिना मांग किये सोमोटो चाहे गृहमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को उस घटना के संदर्भ में कोई बात करनी है तो बिना मांग किये उस घटना के बारे में बोलना चाहिए । अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं लेकिन हमारे गृहमंत्री जी सोए रहे हैं और दूसरे दिन उठते हैं और उठने के बाद वक्तव्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देने आते हैं जब उस वक्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया था कि हमें आसंदी पर भरोसा है । लेकिन यदि वक्तव्य आया है तो मैं आपसे मांग करूंगा कि दोनों यहां पर बैठे हुए हैं । माननीय बृहस्पत सिंह जी से यहां बात होनी चाहिए और टी.एस.बाबा को अपनी बात कहनी चाहिए । उसके बाद आप जो निर्णय करेंगे, हम शिरोधार्य करते हैं, हमें स्वीकार्य है । यह तो आपने मजाक बना दिया । मजाक बना दिया आपने । यदि ऐसी घटना हुई और इतनी बड़ी बात आ गई कि एक मंत्री हत्या करना चाहते हैं । एक मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए हत्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे ओछी हरकत इस विधान सभा में और कुछ नहीं हो सकती, जिस प्रकार से बातें आ रही हैं । इसलिए मैंने कहा कि इस वक्तव्य की आवश्यकता ही नहीं है । मैंने पहले ही कहा है कि संबंधित दोनों लोग यहां पर हैं, आप यहां बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप यहां बात करें, आप अपने कक्ष में भी बात कर सकते हैं, यह आपको अधिकार है । लेकिन दोनों से बात होनी चाहिए और उसके बाद आपका निर्णय आना चाहिए । यह मैं आपसे मांग करता हूं और बाकी सदस्य हैं, यहां कोई दो शब्द बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है । माननीय दोनों सदस्यों को यहां बोलने का अधिकार है । इस वक्तव्य पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, हम सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रतिक्रिया देने लायक वक्तव्य नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह तो अंबिकापुर के चौक की घटना का जिक्र है । इसका यहां कल सदन में हुई बातचीत से कोई संबंध नहीं है । सदन में कल बात हुई थी कि बृहस्पत सिंह ने कहा था कि मेरी हत्या टी.एस.सिंहदेव कराना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए । मेरी जान ख़तरे में है । वे अंबिकापुर से चले तो अंबिकापुर में बयान नहीं दिया, बिलासपुर में आकर उनका बयान होता है, रायपुर में 22 विधायक उनका कुशलक्षेम पूछने जाते हैं । वहां बयान दिया जाता है, यह बयान तो यथावत् स्थित है । यह यक्ष प्रश्न इस सदन के सामने, पूरे प्रदेश के सामने खड़ा हुआ है कि बृहस्पत सिंह की हत्या, टी.एस.सिंहदेव कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं । उन्होंने सच कहा है या ग़लत कहा है इसके बारे में पुलिस के गृहमंत्री को बयान देना चाहिए था । अब आप पी.एस.ओ. के झगड़े का बयान यहां दे रहे हैं, यह वाला बयान तो मैंने कल यहां ख़ुद दे चुका था । यह बात तो मैंने कल ही दे दिया था कि ऐसा बयान आएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- और उसमें क्या बाकी है

श्री धर्मजीत सिंह:- वह कौन सा बड़ा भारी बयान है। अब ये घटना दरमियानी रात को इतने बजे हुआ, यह हम लोग कई साल से सुन रहे हैं। बृहस्पत सिंह जी के टी.एस.सिंहदेव के ऊपर आरोप का मामला गंभीर है। इसके बारे में सत्ता पक्ष की ओर से पूरी बात स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा यह मामला संदेह के घेरे में रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। वे भी

सम्मानित सदस्य हैं, वे तो अतिसम्मानित मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है यहां हत्या, गोली-बारी की परंपरा यहां नहीं ह, लेकिन अगर इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएंगी तो यह प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक होगा।

श्री अजय चंद्रकार (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि मैं सभी विधायक की सुरक्षा की चिंता करूंगा ये सरकार का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत काल से विभानसभा में है, आपके संरक्षण में इससे पहले भी, ये सरगुजा के किसी चौक में घटी घटना में हम बात नहीं कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सदन चल रहा है। विधानसभा नोटीफाइड हुई है, उस दौरान एक विधायक अपनी हत्या के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराये और एक दूसरा पक्ष भी मंत्री है माननीय अध्यक्ष महोदय यदि वो गलत है तो उस मंत्री की जानबूझकर चरित्र हत्या की जा रही है क्या चूंकि विधानसभा चल रही है। मुख्यमंत्री जी एक सरकार पक्ष हैं, आप इस सदन के संरक्षक हैं। आपने बयान के लिए अधिकृत कर दिया। मैं उसमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं, पर जो प्रश्न विपक्ष ने या सदन ने उठाया था, क्या मंत्री जी का बयान उस विषय में है? क्या विधायक और मंत्री जी के या सदन के हितों की उसमें रक्षा हो रही है और यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अन्यथा ये सदन के संरक्षक आप हैं। आपको व्यवस्था देनी चाहिए और इसमें सारे विधायक व मंत्रियों के हित सुरक्षित हों। ये conspiracy सामने आनी चाहिए। यह राजनीतिक घटना नहीं है और यदि यह राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है तो इसी सदन में कल दिनभर राजनीतिक घटनाक्रम चलती रही। यह घटना छोटी थी। जब इसी सदन के अंदर ये राजनीतिक घटनाक्रम चल सकते हैं तो इसी सदन के अंदर विधायकों के हित की बात क्यों नहीं हो सकती? उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो सकती? उसमें स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं आ सकती? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसे करिए, यह आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- ये आपके बाजू में बैठे हैं, वे भांचा है या क्या है?

श्री शिवरतन शर्मा :- ममा।

अध्यक्ष महोदय :- तो ममा भांचा किसी विषय में एक साथ थोड़ी न बोलेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। उस विषय पर हमने कल कोई मांग नहीं रखी थी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत सिंह जी का वक्तव्य आया कि मुझे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पत सिंह जी अकेले बोले, वहां तक तो ठीक है। रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस होती है। उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के 18 विधायक सम्मिलित होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के 2 प्रमुख पदाधिकारी उस प्रेस कांफ्रेंस को कंडक्ट करने के लिए बैठते हैं और

आई.बी.सी. में उसका सीधा प्रसारण होता है। वह पूरी फोटो दिखती है कि कौन उसे आयोजित कर रहा है और कौन बुलवा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बृहस्पत सिंह जी की बात होती, केवल टी.एस. सिंहदेव जी की बात होती तो यह बात नहीं होती। एक सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और एक सदन के सदस्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। कौन गलत है? बृहस्पत सिंह जी अगर सत्य बोल रहे हैं तो टी.एस. साहब के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर बृहस्पत सिंह जी गलत बोल रहे हैं तो उसको सुनवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की व्यवस्था सरकार करे। ये जो गोल-मोल बात हो रही है, यह बंद होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चलिए। एक मिनट आप भी बोल दीजिए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अविभाजित मध्यप्रदेश में और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इस तरह की यह पहली घटना है और जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वह शांति का टापू कहलाता है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से या इस प्रकार के कोई भी जनप्रतिनिधि एक-दूसरे के ऊपर में आरोप नहीं लगाते हैं। हमारा आपसे आग्रह और निवेदन है कि दोनों के बयान विधान सभा के अंदर में हो। माननीय बृहस्पत सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, उनका भी बयान इस सदन के अंदर में, सदन में आपके समक्ष आ जाये और माननीय मंत्री जी का भी बयान आ जाये ताकि पूरा सदन और पूरा प्रदेश इस सदन के माध्यम से वस्तुस्थिति को जाने और हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमने कल मांग की थी कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच सदन की जांच कमेटी से कराई जाए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना एक सामान्य घटना नहीं है क्योंकि सदन की अधिसूचना हो गई और अधिसूचना होने के बाद में यह घटना घटित हुई है । सदन के दोनों सदस्य हैं । टी. एस. सिंहदेव जी तो मंत्री बाद में हैं, पहले विधायक हैं । बृहस्पत सिंह जी भी विधायक हैं तो विधायकों के हितों की रक्षा करना हमारे इस सदन के किसी सदस्य के ऊपर में हत्या करवाने का आरोप लगायी जाये और एक सदस्य कहे कि मेरी हत्या होने वाली है और उसके बारे में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आये तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए इस विषय के ऊपर में हमने आपसे कल भी लगातार बातचीत की थी कि दोनों सदस्यों का वक्तव्य इस सदन में आये और सदन की कमेटी से आप जांच करवाएं क्योंकि आप आसंदी पर बैठे हैं और इसके ऊपर न्याय मिले, इसके लिए हम आपसे ही अपेक्षा करेंगे क्योंकि माननीय बृहस्पत सिंह जी ने कहा कि मैंने वक्तव्य दिया था कि भूपेश बघेल जी ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, वे अच्छा काम कर रहे हैं । इससे नाराज होकर टी.एस. सिंहदेव जी ने मेरे ऊपर हमला करवाया है इसलिए पूरा सदन कटघरे में है, पूरा सत्ता पक्ष कटघरे में है । इसलिए इस मामले को लेकर हमारी बदनामी पूरे देश में और पूरे विश्व में हुई है । अगर यह घटना गलत है तो इस सदन में आना चाहिए कि यह घटना नहीं हुई है, यह घटना गलत

है । दोनों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है और अगर यह नहीं होगा तो यह पूरा सदन संदेह के घेरे में हमेशा बना रहेगा । इसलिए आपकी तरफ से आना चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय :- आएगा, आएगा । (श्री पुन्नूलाल मोहले के खड़े होने पर) जी जनाबेअली । बोलिए, आप बोलिए न । आपको मैंने पूरे सम्मान के साथ बुलाया है ।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- सब बोल डरिन त तोर अउ का बाच हे?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो चर्चा कल हुई और आज भी हो रही है । क्या बृहस्पत सिंह जी से सिंहदेव जी की चर्चा हुई थी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तुम बनने नहीं देते, तुमको मरवाना चाहता हूं । ऐसी कोई घटना घटी । क्या वे मुख्यमंत्री बनने के बारे में सब कुछ जानते हैं, यह हमें जानने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी मुस्कुराहट सब चीज बता रही है कि आपको सब पता है । मैं कुछ कहूं ? इन्होंने 24 तारीख की घटना का जिक्र किया है । जब टी.व्ही. में आने लगा कि बृहस्पत सिंह जी के साथ कोई घटना हुई है तो मैंने 24 तारीख की रात में 9, 10, 11 बजे जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैंने फोन लगाया। उनके एक नम्बर पर फोन लगाया, दोनों नम्बर पर फोन लगाया, पर कोई जवाब नहीं आया । 25 तारीख को मैं यहीं था, मेरे पास कोई नहीं आया, कोई नहीं बताया कि क्या हुआ ? 26 तारीख को 9:30 बजे से मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास कोई नहीं आया, बृहस्पत सिंह जी नहीं आये । मैं किस आधार पर उनसे पूछूं कि आपके साथ क्या हुआ ? जब मुझे खुद ही नहीं बताया गया । अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मैं निश्चित रूप से पूछता, तब मेरे ऊपर दायित्व बनता था । चूंकि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, मेरे पास कोई नहीं आया । कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था और उसके जवाब में उन्होंने अपने गृहमंत्री जी से वक्तव्य दिलवाया है, उसको आप सबसे सुना है । गृहमंत्री जी का वक्तव्य तो गृह विभाग के हिसाब से आएगा ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी का वक्तव्य है कि इस घटना से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- किस घटना से ?

श्री धरम लाल कौशिक :- वह कहीं पर है ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- किस घटना से ?

श्री धरम लाल कौशिक :- इसी घटना से ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जो बोल रहा हूं, वह आपने सुना क्या ? मैंने जो कहा, वह आपने सुना क्या ? मैं तो बोल रहा हूं कि मेरे पास इस घटना के संबंध में न कोई जानकारी आई, न कोई शिकायत आई तो इसमें तो मेरा कोई दायित्व बनता ही नहीं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने टी.व्ही. में सुना, यह अपने आप में पर्याप्त है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है। अगर इस सदन का एक सदस्य भी किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी में लाता है, संज्ञान में आना यह अपने आप में महत्वपूर्ण है । कोई जरूरी नहीं है.....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बहुत हो गया । मैं भी एक इंसान हूं । मेरे बारे में, मेरे चरित्र के बारे में आप सब जानते हैं । शायद कुछ छिपे हुए पहलू हैं, जो उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है । मेरे माता-पिता, मेरे परिवार के संदर्भ में आप सब जानते ही होंगे। मैं केवल एक कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । आपके कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को चेम्बर में बुलाया, चर्चाएं हुईं, कुछ निर्णय बतौर बात हम लोगों के समक्ष हम लोगों के रहते तक हुई। उसके बाद यह बयान सीमित रूप से आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित होऊं, जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आये। तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक इसमें शासन की तरफ से मेरे सन्दर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन के इस पवित्र प्रजातन्त्र की सदन की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए अपने आपको योग्य नहीं समझता हूं।

(तत्पश्चात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) सदन से प्रस्थान कर गये।)

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत गंभीर बात है, बहुत विचित्र बात है। (व्यवधान) सदन की कमेटी से जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- संवैधानिक संकट पैदा हो गया, संवैधानिक संकट पैदा हो गया।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके रहते क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी से जांच कराई जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं किसकी बात सुन ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है, सबका मान-सम्मान है। कोई राजनीतिक फायदे के लिए आरोप लगा दे, उसको कोई सह ले, जरूरी नहीं है। यह तो संवैधानिक संकट पैदा हो गया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(12 बजकर 26 मिनट से 1 बजकर 08 मिनट तक सभा की बैठक स्थगित रही)

समय :

1:08 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना हुई है...।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण ले रहे हैं...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारी बात आप सुन लीजिए साहेब ।

अध्यक्ष महोदय :- सुनूंगा, परन्तु ध्यानाकर्षण...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विश्व के इतिहास में, लेजिसलेशन के विश्व के इतिहास में आज तक कहीं किसी सदन में ऐसी घटना नहीं हुई । न लोक सभा में, न विधान सभा में, हम लोग कोल शकधर देख रहे थे कि कहीं ऐसी घटना हुई हो, और ये घटना हमारे सदन के लिए पूरे शर्मनाक घटना है, हम बार-बार जिस बात को कह रहे थे, माननीय मंत्री जी और सदस्य का बयान करवाया जाये । मंत्री जी ने सरकार के वक्तव्य के ऊपर नाराज होकर, मेरी जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती है, तब तक मैं सदन में नहीं आऊंगा । यह पूरे सदन के सम्मान का सवाल है, हम इसलिए आपसे बार-बार आग्रह कर रहे थे, आपसे निर्णय लेने की बात कर रहे थे, आपकी तरफ से भी निर्णय नहीं आया, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप यह निर्णय करें कि सदन का कोई सदस्य दुखी होकर सदन का बहिगर्मन करके चला जाता है, जब तक उसकी स्थिति क्लियर नहीं होगी, तब तक मैं सदन में नहीं आऊंगा । इसलिए मैं कहूंगा कि जब तक उनकी स्थिति क्लियर नहीं होती है, तब तक सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । आपसे हमारा आग्रह है कि उन्होंने सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया है, इसलिए सदन की कमेटी बनाकर, आप उसकी घोषणा करें, उसकी जांच करवायें, उसके बाद सदन का संचालन करें । उसके पहले अगर सदन का संचालन होता है तो इसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने थोड़ी देर पहले यह कहा था कि मेरे सामने कोई मामला नहीं आया तो मैं क्या संज्ञान लूँ । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है,

आपके सामने माननीय मंत्री जी का बयान आ गया । माननीय मंत्री जी ने सरकार के वक्तव्य पर असहमति व्यक्त करते हुये जब तक सरकार बयान न दे उसकी स्थिति स्पष्ट न हो, तब तक मैं इस सदन में नहीं आऊंगा, यह कहा और यह आपने सुना। चूंकि सत्र चल रहा है, सत्र नोटिफाई हुआ है, आप हमारे संरक्षक है और सरकार में अंतरकलह दिख रही है। सरकार से सामूहिक उत्तरदायित्व चला गया है। हम जितना जानते हैं आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि J.P.C. या सदन समिति ही इस मामले में एकमात्र विकल्प है कि कोई सदस्य भाग ले। यदि आपके रहते चाहे ये सदस्य हों या ये सदस्य हों, सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, दु:खी होकर बहिर्गमन करते हैं तो सदन चलने का कोई मतलब नहीं है। इस सदन में एक संवैधानिक संकट की स्थिति है कि मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर अविश्वास व्यक्त कर रहा है। इसलिए आप J.P.C से जांच कराने की कृपा करें। आपने जो कहा था कि मेरे संज्ञान

में नहीं आया है, उन्होंने सदन में वक्तव्य दिया तो वह अब आपके संज्ञान में आ गया। अध्यक्ष महोदय, हम सब सदस्यों की मर्यादा की रक्षा आप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, Legislative assembly में जो मापदंड हैं, जो इसकी महान परंपरायें हैं जो वर्षों में विकसित हुई हैं। एक आदमी, दो आदमी की स्वेच्छाचारिता में ये महान परंपरायें नष्ट नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप इसको स्थापित करेंगे। joint parliamentary committee से इसकी जांच करायेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने गृहमंत्री जी के वक्तव्य से असहमति व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि नाराजगी व्यक्त करते हुए कि उस वक्तव्य से मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है और जब तक मेरी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक इस पवित्र सदन में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। यह कह करके सदन से बहिर्गमन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार कहा जाता है कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदारी होती है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा है। एक विधायक मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक विधायक मंत्री पर हत्या के प्रयास करने का आरोप लगा रहा है। उस विषय में कल से हम लगातार बात कर रहे हैं। उस विषय में शासन का कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। गृहमंत्री जी वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो उनका विषय दूसरा था। हम मांग दूसरी कर रहे थे। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य ने मंत्री के वक्तव्य पर असहमति व्यक्त की है। सरकार के कृत्य पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक वह सदन में प्रवेश नहीं करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम की जांच अब सदन की जांच समिति को छोड़ और कोई समिति नहीं कर सकती। आपसे हम आग्रह करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए आप सदन की जांच समिति घोषित करें।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, यह बहुत बड़ी घटना है, सदन की कमेटी से जांच कराने की घोषणा हो जाये। सदन की जांच कमेटी बन जाये, हम लोग कल से यही मांग कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सदन के ऊपर में अविश्वास है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सदन को एक दिन के लिए स्थगित करके कल तक आप जांच करवा लीजिए। कल तक जांच रिपोर्ट दे दीजिए, हम सदन चलायेंगे। परंतु जब सदन के ऊपर में भी अविश्वास हो गया है तो उसके बाद में सदन को चलाने का औचित्य क्या है? हमारे ध्यानाकर्षण का औचित्य क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- यह संवैधानिक संकट है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह संवैधानिक संकट है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल का सदस्य मंत्रिमंडल के ऊपर अविश्वास व्यक्त करे और उस आधार पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। आपके संज्ञान में भी वह बात आ गई।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी घटना है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आरोप लगाये गये, उसका निराकरण नहीं हुआ। कल हमारे माननीय सदस्य फिर कुछ बोलना चाहेंगे, उनके ऊपर कोई आरोप फिर लगा देंगे और आरोप लगाने के बाद में हम उनकी रक्षा करने का सुनिश्चित नहीं करेंगे तो वह इस सदन में कैसे काम करेंगे ? यह बहुत कठिन परिस्थिति है। इसलिए एक जो सलाह आ रही है कि या तो आप सदन को स्थगित करके आप खुद उसका निराकरण कर लीजिए और कल हम इसमें चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम उसके लिए सहयोग करने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि आप सदन की कमेटी बना दीजिए, जांच होगी, यही सदन के सदस्य उसकी जांच करेंगे और जो बातें रखी गई हैं कि मेरी स्थिति स्पष्ट करें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। आप हमारे संरक्षक हैं। आपके रहते यदि यहां से कोई निकल करके जाये, आपके रहते किसी के ऊपर आरोप लगे और आपके रहते हुए उसका निराकरण न हो तो यहां बात नहीं कर पायेंगे तो वह क्षेत्र में जा करके क्या बात करेंगे ? वह जनता के सामने जा करके क्या बात रखेंगे ? इसलिए उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उसके लिए एक मात्र उपाय है कि आप सदन की कमेटी की घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है वह तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है।

डॉ.रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस पूरे सदन के मान सम्मान का विषय है। ऐसी घटना इतिहास में हमने आज तक नहीं देखी कि ऐसी घटना घटी है। यह सभी सदस्यों के मान सम्मान का विषय है। इस घटना में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। हत्या के आरोप लग गये। दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी का बयान आता है, विधायक जी का बयान अलग आता है और पूरे का पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा सदन जानना चाहता है। इसका रास्ता और विकल्प यह है कि सदन का मान-सम्मान बढ़ाने के लिए, एक ऊंची परंपरा डालने के लिए आप निश्चित रूप से सीधे-सीधे संयुक्त विधायक दल की समिति से जांच करा लें। जांच की रिपोर्ट आ जाए और उस जांच के रिपोर्ट से निश्चित रूप से सभी सदन संतुष्ट होंगे। उसके बाद ये कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। हम लोग अभी बैठेंगे, विचार करेंगे। अभी आप ध्यानाकर्षण देख लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी दुनिया में। ऐसी घटना आज तक नहीं घटी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय आप वरिष्ठ है। मैं ही आपसे अपना ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स के नियमों को परंपराओं को लेकर हम चलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स से देश के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या कोई ऐसी घटना घटित हुई है और ऐसी घटना का घटित होना हमारे पूरे सदन का अपमान है और जब तक उसका निराकरण नहीं होता है तब तक सदन को चलाना औचित्यपूर्ण नहीं है और उसके निराकरण का सबसे सहज और सरल रास्ता है कि आप सदन की कमेटी बनाकर उसकी जांच करावाने की घोषणा करा दें और तभी इसका निराकरण होगा। अन्यथा हम सदन में बैठ कर कितनी भी चर्चा करें, अगर सदन का सम्मान नहीं है, अगर सदन के सदस्यों का सम्मान नहीं है। तो हमारे यहां किसी भी विषय पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये आपकी परंपराओं से ही जाना जाता है अध्यक्ष महोदय, महान परंपराओं से और वह आपके ऊपर है कि ये परंपराएं अक्षुण्य बनी रहे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ मंत्री के ऊपर एक वरिष्ठ विधायक का आरोप, सदन में दो दिन से चर्चा, सदन में दोनों उपस्थित। एक ने सदन में यह कहकर कि उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कहकर चले गये, एक अभी तक के बैठे हैं। न आपकी तरफ से पहल हुई है अध्यक्ष महोदय, न मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुई है। इसका मतलब है मामला सब सस्पेंस में है इसलिए इसकी जांच करा लीजिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अध्यक्ष महोदय और जब तक ये नहीं होगा तो यह परंपरा इसी तरह से घातक रूप लेगी अध्यक्ष महोदय। कल कोई और किसी के ऊपर आरोप लगाएगा, कोई और किसी के ऊपर आरोप लगाएगा। अगर इस सदन में इस आरोप पर, आपको भी वह नहीं बताए माननीय सदस्य महोदय। मुख्यमंत्री जी को भी नहीं बताए। तो जब हम लोग सदन में यह मामला उठा रहे हैं तो उसमें आपको संज्ञान खुद लेना चाहिए। आपको स्वत: संज्ञान लेकर के इसकी पहल करनी चाहिए कि सदन के दो महत्वपूर्ण लोग, जिसमें से एक तो सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय मंत्री उठ के चले गये है। वह सीट खाली हो गयी, वेकेंट हो गयी है। अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस पार्टी अविश्वास की खाई में यहां पर षडयंत्रों का दौर अगर चल रहा हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि इस प्रकार की हरकतों से राजनीति नहीं हो सकती। अगर जो भी दोषी हो, चाहे बाबा हत्यारे हों तो उनके ऊपर कार्यवाही कीजिए। अगर हत्या का आरोप लगाने वाले गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही करिये। लेकिन इसमें स्थिति स्पष्ट होनी ही चाहिए कि कौन रांग है और कौन राईट है। इसलिए इसमें आपको संज्ञान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो बोल रहा हूं कि मैं संज्ञान लूंगा तो मुझे समय देंगे कि नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी ऊंचाई है।

श्री अजय चंद्राकर :- एक माननीय मंत्री सदन में बोल के गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कल भी आप इसी तरह से बात कर रहे थे कि आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं मान लू। आज भी वही बात कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं उसको मैं मान लू।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, हम लोग सदन की जांच कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग सदन की गरीमा के लिए कह रहे हैं आपको। अगर इस सदन में शर्मनाक घटना घटित हो और उसके बाद भी आप किसी सदस्य के सम्मान को प्रतिस्थापित नहीं कर पाये, उसकी रक्षा नहीं कर पाये। तो सदन मैं बैठने का क्या औचित्य है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जब बोल रहा हूं कि मैं बात करूंगा। चूंकि वह मेरे सामने की घटना है। हम बात करेंगे।

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- किसके ?

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- सदन के ऊपर भी आंच आ रही है, मंत्रिमंडल के ऊपर भी आंच आ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- तो मैं बात करूंगा उनसे। मुझे बात करने देंगे कि नहीं।

श्री अजय चंद्राकर :- बात तो सदन के सामने आ गई, पूरे सदन के सामने बात आ गई है।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे उनसे बात करने देंगे कि नहीं देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरे सदन में बात हो गई तो अलग से बात करने का विषय ही नहीं रहा। अब तो कार्यवाही करने का विषय है। जब इसमें निर्णय नहीं होगा तो कभी-भी किसी के साथ कुछ भी होगा।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको निर्णय लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी। आप अपना ध्यानकर्षण ले रहे हैं ?

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल का नाम ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-01 पढ़ने के लिए पुकारा गया)

(ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-01 : प्रस्तुत नहीं हुई)

(ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-02 : माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,नहीं। छत्तीसगढ़ विधान सभा की अपनी ऊंचाई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पूरे सदस्य के सामने माननीय मंत्री जी ने कह कर, कि जब तक मेरे साथ में न्याय नहीं होगा, मैं सदन में नहीं आऊंगा। इसके बाद बचता क्या है? आप किसकी बात सुनेंगे?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप न्याय कीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जब एक मंत्रीमण्डल का सदस्य इस बात को कह रहा है, आप किसकी बात को सुनेंगे?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एक सदस्य के बहिर्गमन करने से कार्यवाही बाधित नहीं होती।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आप किससे सुनना चाहते हैं ?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कहीं न कहीं आप बचाव कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की जांच कमेटी बन जाए। आप सदन की जांच कमेटी से जांच करवा दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन की जांच कमेटी बनाईये।

श्री नारायण चंदेल :- आप अभी सदन की जांच कमेटी की घोषणा कर दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी आप सदन की कमेटी के लिए सहमति दे दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मंत्री सुरक्षित नहीं हैं। यदि उनका विश्वास नहीं है तो आप सदन कैसे चलायेंगे ?

श्री ननकीराम कंवर :- वह तो विपक्ष में हैं वह नहीं करेंगे।

समय :
1:20 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह कार्यवाही को आगे न बढ़ाये, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अगर अभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो पूरे देश में इस सदन की चर्चा होगी कि छत्तीसगढ़ के सदन ने न्याय नहीं किया और जो सदन की कमेटी बनेगी, उसके बहुत तो सत्तापक्ष का ही होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- सत्तापक्ष के ही रहेंगे। (व्यवधान)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसके बाद वही निर्णय करेंगे। हम तो आपसे एक लाईन का निर्णय चाहते हैं कि सदन की कमेटी इसकी जांच करें, जिसका निर्णय हम चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री भूपेश बघेल जी।

समय :

1:20 बजे **(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आएं)**

समय :

1:21 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन</u>**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2021 की तिथि निर्धारित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 28 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपराह्न 1 बजकर 21 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 (श्रावण 6,शक् संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई.)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 27 जुलाई, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं